न्यायालय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–03, गोण्डा।

उपस्थितः–राजेश कुमार–तृतीय (उच्चतर न्यायिक सेवा)

सत्र परीक्षण वाद संख्या–175/2016

CNR No.–UPGD010029472016

राज्य----------अभियोजन पक्ष।

बनाम

रामरंग शुक्ला पुत्र जवाहिर लाल उम्र 60 वर्ष ,
निवासी–मल्लापुर गौसिहा, थाना–कौड़िया, जनपद–गोण्डा। **---अभियुक्त।**

मु०अ०सं०–92/2016
धारा–302, 201 भा०दं०सं०
थाना–कौड़िया, जिला–गोण्डा।

निर्णय

1– प्रस्तुत सत्र परीक्षण वाद का विचारण थाना पुलिस कौड़िया मुकदमा अपराध संख्या–92/2016 में अभियुक्त रामरंग शुक्ला के विरूद्ध प्रेषित आरोप पत्र अन्तर्गत धारा–302, 201 भारतीय दण्ड संहिता के आधार पर किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना पुलिस कौड़िया विवेचक निरीक्षक इन्तखाब अहमद द्वारा अन्तर्गत धारा–302, 201 भा०दं०सं० में दिनांक–22.05.2016 को आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया, जिस पर न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गोण्डा द्वारा दिनांक 07.06.2016 को प्रसंज्ञान लिया गया, तदोपरान्त उपरोक्त वाद तत्कालीन न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गोण्डा द्वारा दिनांक 09.06.2016 को सत्र न्यायालय सुपुर्द किया गया। यह सत्र परीक्षण वाद इस न्यायालय को माननीय जनपद न्यायाधीश के आदेश दिनांकित 19.11.2025 के अनुपालन में इस न्यायालय को दिनांक 29.11.2025 को स्थानान्तरित होकर प्राप्त हुआ, तदोपरांत अभियोजन साक्ष्य के आधार पर उपरोक्त वाद का विचारण किया गया।

2– अभियोजन कथानक वादी मुकदमा की तहरीर का०सं०–4/3 के अनुसार इस प्रकार किया गया है कि–*श्रीमान प्रभारी निरीक्षक, कौड़िया, गोण्डा।" निवेदन है कि प्रार्थी सोनू उर्फ मुरारी पुत्र रामरंग ग्राम गौसिया थाना–कौड़िया, जिला–गोण्डा का निवासी हूँ। प्रार्थी दो भाई व एक बहन है। बहन माँ–बाप के साथ गाँव पर रहती थी, जबकि बड़ा भाई सोनू उर्फ मुरारी इलाज हेतु लखनऊ में भर्ती है। मैं दिल्ली में था, मुझे अन्य सूत्रों से पता चला कि 09.04.2016 को उसकी संदिग्ध हालात में मृत्यु हो गयी है, जिसकी मेरे पिता ने आनन फानन में मिट्टी कर दी है। जब मैंने उनसे सम्पर्क करके पता करना चाहा तो उन्होंने कहा कि सांप काट लिया है, जब आज मैं दिल्ली से घर पहुँचा तो पूछा मिट्टी कहा दी है, तो उन्होंने कहा कि मैंने*

Digitally signed by RAJESH KUMAR
Date: 2026.03.17 16:40:04 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

लावारिस लाश की तरह सरयू जी में तैरा दिया है, फिर लोगों द्वारा पता चला कि इन्होंने तालाब में दफना दिया है। अतः आप से निवेदन है कि मेरे बहन के साथ इंसाफ किया जाये, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि ये सच बोल रहे हैं। मुझे आशंका नजर आ रही है। कृपया पोस्टमार्टम कराया जाये तथा कानूनी कार्यवाही करायी जाये। हस्ताक्षर– मोनू उर्फ मुरारी दिनांक–11.04.2016"

3– वादी मुकदमा की उक्त तहरीर कागज संख्या–4/3, प्रदर्श क–1 के आधार पर थाना–कौड़िया, जिला–गोण्डा में अभियुक्त रामरंग के विरूद्ध घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक–14.04.2016 को मुकदमा अपराध संख्या–92/2016, अन्तर्गत धारा–302,201,120B भारतीय दण्ड संहिता में पंजीकृत हुई। प्रथम सूचना रिपोर्ट पत्रावली पर प्रदर्श क–3 मूल रूप में संलग्र है। इस अभियोग की विवेचना निरीक्षक इन्तखाब अहमद द्वारा की गयी, विवेचक द्वारा दौरान विवेचना साक्षीगण के बयान अभिलिखित किये गये, घटनास्थल का नक्शा नजरी तैयार किया गया और बाद सम्पूर्ण विवेचना धारा–120B भा०दं०सं० को विलोपित करते हुए अभियुक्त रामरंग शुक्ला के विरूद्ध **आरोप पत्र** मुकदमा अपराध संख्या–92/2016, अन्तर्गत धारा– 302, 201 भारतीय दण्ड संहिता में दिनांक–22.05.2016 को न्यायालय में प्रेषित किया गया, जिस पर विद्वान न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गोण्डा द्वारा दिनांक 07.06.2016 को प्रसंज्ञान लिया गया।

4– अभियुक्त रामरंग के विरूद्ध अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर अन्तर्गत धारा–302, 201 भारतीय दण्ड संहिता का प्रथम दृष्टया आधार पाते हुए उक्त धाराओं के अन्तर्गत आरोप न्यायालय सत्र न्यायाधीश, गोण्डा द्वारा दिनांक–02.01.2017 को विरचित किये गये। अभियुक्त को आरोप पत्र पढ़कर सुनाये व समझाये गये। अभियुक्त ने आरोपों से इंकार किया तथा अभियुक्त द्वारा मामले के विचारण की याचना की गई, तदोपरान्त अभियोजन साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त का विचारण किया गया।

5– अभियोजन द्वारा अपने कथानक के समर्थन में निम्नलिखित अभियोजन अभिलेख प्रस्तुत किए गए हैं :–

क्रम संख्या	**अभियोजन अभिलेख**	**प्रदर्श**
1.	तहरीर वादी मुकदमा	प्रदर्श क–1
2.	पंचायतनामा	प्रदर्श क–2
3.	प्रथम सूचना रिपोर्ट	प्रदर्श क–3
4.	नक्शा नजरी घटना स्थल	प्रदर्श क–4
5.	फर्द बरामदगी दुपट्टा	प्रदर्श क–5
6.	नक्शा नजरी शव बरामदी स्थल	प्रदर्श क–6
7.	आरोप पत्र	प्रदर्श क–7
8.	आख्या नायब तहसीलदार प्रतिसार निरीक्षक को	प्रदर्श क–8
9.	नमूना मोहर	प्रदर्श क–9

10.	आख्या नायब तहसीलदार सी०एम०ओ० को	प्रदर्श क–10
11.	आख्या नायब तहसीलदार पी०एम० हेतु	प्रदर्श क–10 क
12.	फोटोनाश	प्रदर्श क–11

6– अभियोजन द्वारा मौखिक साक्ष्य के रूप में निम्न साक्षीगण प्रस्तुत किए गये हैं, जिन्हें न्यायालय में परीक्षित कराया गया है –

क्रम संख्या	**अभियोजन साक्षी**	**विवरण**
1.	मोनू उर्फ मुरारी	वादी मुकदमा
2.	उपनिरीक्षक संजीत कुमार सिंह	पंचायतनामा लेखक
3.	श्रीमती रानी	मृतका की माता
4.	उपनिरीक्षक ओमनाथमणि तिवारी	प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखक
5.	इन्तखाब अहमद	मुकदमा विवेचक
6.	श्री शिवदयाल तिवारी नायब तहसीलदार	पंचायतनामाकर्त्ता
7.	चिकित्सक संजय कुमार	शव–विच्छेदनकर्त्ता

7– अभियोजन द्वारा उपरोक्त साक्षीगण को न्यायालय में परीक्षित कराया गया है, जिनका साक्ष्य परीक्षण निम्न प्रकार हैः –

अभियोजन साक्ष्य परीक्षण

8– अभियोजन साक्षी संख्या–01 मोनू उर्फ मुरारी वादी मुकदमा है। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान किया गया है कि– मैं दिल्ली में मजदूरी करता हूँ। हम दो भाई है और एक बहन थी। मृतका सुमन का मैं छोटा भाई हूँ। मेरी बहन मृतका सुमन घर पर रहती थी। घटना–09.04.2016 की है, मुझे गाँव के लोगों द्वारा यह जानकारी हुई कि मेरी बहन की मृत्यु हो गयी। जानकारी फोन द्वारा दी गयी थी। मेरे पिताजी ने बिना किसी सगे सम्बन्धी को सूचना दिये आनन–फानन में शव को दफन कर दिया था। जब मैंने गाँव वालों से जानकारी करना चाहा कि मेरी बहन की मृत्यु कैसे हुई तो लोगों ने बताया कि मृत्यु का कारण संदेहपूर्ण है। आनन–फानन में शव को दफनाया गया है। फोन करके सूचना देने वाले से और जानकारी चाही तो उन्होंने फोन काट दिया। उसके तुरन्त बाद मैंने अपने पिता रामरंग शुक्ला को फोन किया, लेकिन उनका फोन बन्द आ रहा था।

दिनांक–26.09.2019 को पुनः मुख्य परीक्षा में उक्त साक्षी ने कथन किया है कि– मैं दो भाई हूँ। मेरे बड़े भाई का नाम सोनू शुक्ला उर्फ पूजारी है। घटना के समय मैं दिल्ली में था तथा मेरे भाई सोनू लखनऊ में मेडिकल कालेज में भर्ती थे। उनका इलाज चल रहा था। मेरा ननिहाल परसौनी पुरवा कटरा बाजार है। मेरी बहन सुमन भी ननिहाल में आती जाती थी। होली पर मेरी बहन ननिहाल से घर आयी थी।

मुझे गाँव वालों के द्वारा मेरी बहन सुमन की मृत्यु की सूचना मिली और गाँव वालों ने यह भी बताया था कि तुम्हारी बहन की मृत्यु संदेहात्मक हुई है। मैंने रिश्तेदारी से जब पूछा तो उन लोगों ने बताया कि हम लोगों को सुमन के मृत्यु की सूचना तुम्हारे पिता द्वारा नहीं बताया गया है और तुम्हारे पिता ने चुपचाप अन्तिम संस्कार तुम्हारी बहन का करा लिया। तब मैं दिल्ली से गोण्डा अपने घर आया और अपने पिता से अपने बहन के मृत्यु के बारे में पूछा तो बताया कि सांप काट लिया है और उसकी लाश को सरयू नदी में प्रवाहित कर दिया है। जब मैं गाँव वालों से मिला तो गांव वालों ने बताया कि तुम्हारे पिता हम लोगों से बताया कि सुमन ने स्वयं फाँसी लगा लिया तब मैं घर आकर पिता से पूछा कि गांव वाले बता रहे है कि आपने गांव वालों से बताया है कि मेरी बहन सुमन फांसी लगाकर मरी है, तब मेरे पिता ने मुझसे कहा कि बहुत कानूनी बनते हो जो हाल तुम्हारी बहन का किया है, वही हाल तुम्हारा व तुम्हारी मां का भी करेंगे। जब मेरी मां ने पूछा तो उसे थप्पड़ से मारा।

इस बात को लेकर मुझे अपने पिता रामरंग पर शक हुआ, शक होने पर मैं एक आदमी से तहरीर लिखाकर थाने पर दिया। तहरीर शामिल पत्रावली है, जो कागज संख्या–4/3 है। गवाह को तहरीर पढ़कर सुनाया तो गवाह ने कहा कि यह वही **तहरीर** है जो मैंने थाने पर दिया था, उसमें लिखी बातें व अपने हस्ताक्षर को तस्दीक करता हूँ, जिस पर **प्रदर्श क–1** डाला गया। मैं अपने पिता को पकड़कर थाने ले जाना चाहता था, पर वह भाग गये। थाने से दूसरे दिन पुलिस घटनास्थल पर आयी और घटना स्थल का निरीक्षण किया।

दिनांक–07.11.2019 को पुनः मुख्य परीक्षा में उक्त साक्षी ने सशपथ कथन किया है कि–घटना की सूचना पाकर घटना के दूसरे दिन मैं आया था और पिता व गांव वालों से बातचीत करने में विरोधाभास बयानों में देखकर मैंने दिनांक–11.04.2016 को अपने पिता के विरूद्ध तहरीर दिया था। **मेरे द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर दिनांक–12.04.2016 को मजिस्ट्रेट महोदय व पुलिस वाले धोबहा तालाब के पास आये थे। पुलिस वालों व हम लोगों की मौजूदगी में मेरे पिता रामरंग ने तालाब के किनारे से मिट्टी खोदकर मेरी बहन कुमारी सुमन का शव बाहर निकाला। शव को मैंने देखा। नाक व मुँह से खून बहता दिखाई दिया तथा चेहरा व गर्दन सूजा हुआ था। मौके पर मजिस्ट्रेट महोदय ने पंचायतनामा दरोगा जी से बोलकर लिखाया था।** दरोगा जी ने पढ़कर सुनाया तब मैंने व अन्य पंचान ने अपने–अपने हस्ताक्षर पंचायतनामा पर बनाये थे तथा शव को सील मुहर करके पोस्टमार्टम के लिये ले गये थे तथा उसके दूसरे दिन शव का पोस्टमार्टम हुआ था। बहन की लाश को लाकर मैंने अपने खेत में दफना दिया था और उसकी कब्र बना दी थी। जेल से छूटने के बाद रामरंग व मेरे बाबा जवाहिर ने कब्र को खोदकर ढहा दिया और उस स्थान की मिट्टी को बराबर कर दिया।

पंचायतनामा कागज संख्या–5/12 व 5/13 को देखकर साक्षी ने कहा कि यही **पंचायतनामा** मेरे सामने भरा गया था, जिस पर बने अपने हस्ताक्षर की मैं तस्दीक करता हूँ, जिस पर **प्रदर्श क–2** डाला गया। दरोगा जी ने मेरा बयान घर पर आकर लिया था और मैंने उन्हें घटनास्थल/बरामदगी स्थल दरोगा जी को दिखाया था। **मौजूदा समय में रामरंग मेरे ऊपर गवाही न देने का दबाव बनाते है और घर में नहीं घुसने देते। इस वजह से डर के मारे मैं बाहर रहता हूँ और वहीं से आकर गवाही दे रहा हूँ। मृतका सुमन मेरी छोटी बहन थी, त्रुटिवश मुख्य परीक्षा के शुरूआत में बड़ी बहन लिखा दिया है, जो गलत है।**

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिरह करने पर उक्त साक्षी ने कथन किया है कि– मैं पढ़ा–लिखा नहीं हूँ। मैं सिर्फ अंगूठा लगाता हूँ। यह कहा सही है कि घटना के समय मैं दिल्ली शहर में था। दिल्ली में मैं सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था। घटना के 15 दिन पहले मैं दिल्ली गया था। मैंने रामरंग को घटना घटित करते हुए अपनी आँखों से नहीं देखा था। घटना की सूचना मिलने पर लगभग 24 घण्टे बाद मैं घर आया। मैंने रामरंग के खिलाफ थाने पर कोई लिखित शिकायती प्रार्थना पत्र नहीं दिया था। मेरे साथ थाने पर गांव जवार के लोग नहीं गये थे। थाने पर एप्लीकेशन किसने लिखी थी, मुझे याद नहीं है। उस एप्लीकेशन में क्या लिखा था, मैं ये भी नहीं बता सकता हूँ। एप्लीकेशन मुझे पढ़कर सुनाया भी नहीं गया था और उसी प्रार्थना पत्र पर मेरा अंगूठा लगवा लिया गया था। दरोगा जी ने मेरा कोई बयान नहीं लिया था। दरोगा जी ने रामरंग को इस मुकदमें में कैसे रख दिया, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। अगर अदालत रामरंग के खिलाफ कार्यवाही समाप्त कर देती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। दरोगा जी घर पर भी नहीं आये और किसी का बयान नहीं लिया था।

To Court– **मेरी बहन अब वापस नहीं आएगी। मेरी बहन रामरंग द्वारा ही मारी गई है। रामरंग के अपने छोटे भाई की पत्नी से नाजायज सम्बन्ध थे। उस बात को लेकर रामरंग ने घटना कारित की, क्योंकि मेरी बहन ने वो सब देख लिया था। मैं उस समय दिल्ली में था। मुझे किसी ने फोन से सूचना दिया था। सूचना मिलने पर मैं ट्रेन पकड़कर 24 घण्टे में आ गया था। तलाब में से लाश निकाली तो मैं था। रामरंग ने ही लाश निकालते समय उपस्थित थे। रामरंग को जगह पता थी। यही खोदकर निकाले। पैर भी बाँध दिये थे मृतका के। मेरे गाँव पहुँचने के अगले दिन रामरंग गिरफ्तार हुआ थे ओर तीसरे दिन लाश बरामद हुई थी। केवल लाश मिली थी और कुछ नहीं मिला था। मृतका ने कपड़े पहने थे। पोस्टमार्टम के बाद अलग खेत में मृतका को गाड़ दिया था। उसकी शादी नहीं हुई थी, इसलिए जलाया नहीं था।** सुमन का गाँव में कहीं कोई चक्कर नहीं था। वो घर पर ही रहती थी। मेरी कभी–कभी उससे फोन पर बात होती थी।

दिनांक–19.10.2022 को पुनः उक्त साक्षी ने कथन किया है कि– घटना वाले दिन मैं दिल्ली में था, घटना घटित होते मैंने अपने आँखों से नहीं देखा है और रामरंग द्वारा सुमन को फाँसी लगाकर मारते हुए नहीं देखा है। रामरंग ने सुमन की हत्या नहीं की है। गांव वालों के बहकाने में आकर मैंने थाने पर सूचना दी थी। मैंने थाने पर कोई लिखित शिकायती प्रार्थना पत्र नही दिया था। पुलिस वालों ने मेरा कोई बयान नहीं लिया था। पंचायतनामा के समय मैं मौजूद नहीं था। मेरी बहन बीमार भी रहती थी। इस घटना के पहले भी मेरी बहन सुमन ने आत्महत्या का प्रयास किया था, परन्तु वह बच गयी थी। वह दिमाग की कुछ हल्की थी। हल्की दिमाग होने के कारण मेरी बहन बार–बार आत्महत्या का प्रयास करती थी और इसी वजह से उसने आत्महत्या कर लिया था। मेरे बाबा का नाम जवाहर लाल शुक्ला है। उनके दो लड़के थे, बड़े पुत्र का नाम रामरंग, छोटे पुत्र का नाम ओंकार है। ओंकार की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी है। मेरे चाचा ओंकार के तीन बच्चे है। मेरे बाबा ओंकार के लड़को का परवरिश करते है। मेरे बाबा ने ओंकार की पत्नी को अपने जायदाद का बयनामा कर दिया है। मेरी माता के नाम बाबा ने कोई सम्पत्ति बैनामा नहीं किया है। मेरी माँ जब अपने ससुर से सम्पत्ति देने को कहते थे, तो वह नहीं देते थे। इसी वजह से मेरी माता नाराज होकर अपने मायके में रहती थी। जब मेरे पिताजी रामरंग मेरी माता से घर आने को कहते थे, तो मेरी माता यह

कहती थी कि आप अपने पिता जी की सम्पत्ति पहले मेरे नाम करवाइये तब मैं ससुराल जाऊँगी और इसी बात से मेरी माता जी मेरे पिताजी से नाराज रहती थी।

यह कहना सही है कि अपनी माता के नाम जमीन लिखवाने के उद्देश्य से मैंने रामरंग के खिलाफ थाने पर सूचना दी थी। मेरा यह भी कहना सही है कि रामरंग ने घटना कारित नहीं की है। यह कहना गलत है कि रामरंग का पुत्र होने के नाते मैं अदालत पर झूँठी गवाही दे रहा हूँ।

9– अभियोजन साक्षी संख्या–02 उपनिरीक्षक संजीत कुमार सिंह गवाह पंचायतनामा है। इस साक्षी ने सशपथ कथन किया है कि– मैं दिनांक–11.04.2016 को मैं चौकी प्रभारी आर्यनगर थाना–कौड़िया, जनपद–गोण्डा में तैनात था। उसी दिन वादी मुकदमा मोनू उर्फ मुरारी पुत्र रामरंग निवासी ग्राम गौसिया थाना–कौड़िया द्वारा थाना कौड़िया पर एक प्रार्थना पत्र अपने पिता के विरूद्ध दिया था, जो तत्कालीन एस०एच०ओ० के लिखित आदेश से मुझ उपनिरीक्षक को प्राप्त हुई थी। मेरे द्वारा गोपनीय जांच के उपरान्त मामला संदिग्ध पाये जाने पर उप जिलाधिकारी सदर गोण्डा को मौके की इस आशय की दी गई कि शव को निकालकर तथा पंचायतनामा करने हेतु एक मजिस्ट्रेट कि नियुक्ति की जाये। जिसके उपरान्त नायब तहसीलदार शिवदयाल तिवारी को उप जिलाधिकारी महोदय सदर गोण्डा द्वारा मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया।

नायब तहसीलदार शिवदयाल तिवारी ने मौके पर जाकर लाश को मिट्टी से निकलवाकर पंचायतनामा की कार्यवाही की गई थी। उस वक्त मैं भी मौके पर मौजूद था। पंचायतनामा कागज संख्या–5/12 लगायत 5/13 शामिल पत्रावली है, जो नायब तहसीलदार शिवदयाल तिवारी द्वारा बोलने पर मेरे द्वारा लिखी गई थी। **पंचायतनामा** पर बने अपने हस्ताक्षर की मैं पुष्टि करता हूँ, जिस पर **प्रदर्श क–2** डाला गया। शव को सील मुहर कर कान्सटेबल विनय कुमार को सुपुर्द कर पोस्टमार्टम हेतु जिला अस्पताल गोण्डा भेज दिया गया। विवेचक ने मेरा बयान लिया था।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिरह करने पर उक्त साक्षी ने कथन किया है कि– पंचायतनामा दिनांक–12.04.2016 में किया गया था। पंचायतनामा का समय सही नहीं बता पायेंगे लेकिन शाम का समय था। मेरे अलावा मजिस्ट्रेट नायब तहसीलदार शिवदयाल तिवारी और प्रभारी निरीक्षक थाना कौड़िया तथा गांव के तमाम लोग तथा वादी के परिजन रिश्तेदार मौजूद थे। पंचायतनामा भरने और कार्यवाही करने में कितना समय लगा मैं सही समय नहीं बता सकता। पंचायतनामा की कार्यवाही होते होते रात नहीं हुई थी। मेरी मौजूदगी में मृतका का शव मिट्टी से खोदकर निकाला गया था। उस समय मृतका का शव मट्टी में उत्तर दक्षिण दिशा में था। उत्तर तरफ की मृतका का पैर था और दक्षिण की तरफ उसका सर था। जब मृतका का शव निकाला गया तो उसके शरीर पर कपड़े थे। जो कपड़े मृतका के शव पर था, वह सलवार सूट था। किस रंग का सलवार सूट था, मुझे याद नहीं है। मृतका चूड़ी या पायल पहने हुई थी, यह भी मुझे याद नहीं है। पंचायतनामा पर मेरे दस्तखत है। पंचायतनामा पर पहले नायब तहसीलदार मजिस्ट्रेट ने दस्तखत बनाया फिर पंचान ने अपने अपने हस्ताक्षर बनाये थे।

यह कहना गलत है कि मैं उच्च अधिकारियों के दबाव में आकर सादे कागज पर अपना हस्ताक्षर बना दिया था और उसी पर लिखा पढ़ी की कार्यवाही हुई थी। यह कहना गलत है कि पंचायतनामा करते समय मैं मौके पर मौजूद नहीं था।

10– अभियोजन साक्षी संख्या–03 श्रीमती रानी मृतका की माता है। इस साक्षी ने कथन किया कि– मृतका मेरी सगी बेटी थी, जिसका नाम सुमन था। घटना वर्ष 2016 की है, महीना चैत का था। घटना वाले

दिन हम व मेरे पति दोनों खेत में थे। मैं गेहूँ का बोझ बांध रही थी, उठवा रही थी तथा ढो रही थी। फिर अभी खुद कहा कि हम दोनों लोग गेहूँ काट रहे थे, ढो नहीं रहे थे। फिर हम दोनों लोग साथ में घर आये। मैं और मेरे पति रामरंग घर चले आये। जब मैं घर के अन्दर देखा तो कमरे का दरवाजा बन्द था, उसको पीटा नहीं खुला मेरे लड़की फांसी लगायी थी। हल्ला मचाया गांव के तमाम लोग आ गये। दरवाजा तोड़ा गया तो देखा कि लड़की फांसी लगाकर मर गई। मैं और मेरे पति रोने चिल्लाने लगे। गांव के लोग आये तो कहे कि लड़की की शादी नहीं हुई है उसको मिट्टी में गाड़ दो तालाब में मिट्टी दे दिया गया। मेरे पति रामरंग शुक्ला ने मेरी बेटी को नहीं मारा था। मुझे डराया धमकाया नहीं था। घटना के बाद मैं अपने घर पर थी, कहीं गई नहीं थी। घटना के बाद मेरा लड़का मोनू उर्फ मुरारी आ गये थे। मुकदमा उन्होंने ही लिखाया था। दरोगा जी ने मेरा कोई बयान नहीं लिया था। आज मैं स्वेच्छा से बयान दे रही हूँ। कोई जोर दबाव नहीं है। मेरे पति ने मेरी बेटी की हत्या नहीं की थी। मुझे अब कुछ नहीं कहना है।

इस स्तर पर गवाह को **पक्षद्रोही** घोषित किया गया। विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (क्रिमिनल) को जिरह की अनुमति प्रदान की गई।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जिरह करने पर उक्त साक्षी ने कथन किया है कि– मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। मैं अपना अच्छा बुरा नीक बेकार समझती हूँ। मैं आज पुलिस की सूचना पर गवाही देने आयी हूँ। मैं अपने साथ आधार कार्ड लायी हूँ, जिसकी छायाप्रति प्रभावित कके दाखिल कर रही हूँ। आज मैं साक्ष्य देने अपने लड़के मुरारी के साथ आयी हूँ। मुझे यह पता है कि न्यायालय पर शपथ लेने पर झूँठी गवाही देने पर मेरे खिलाफ भी कार्यवाही हो सकती है। मेरी लड़की मृतका सुमन की आयु घटना के समय लगभग 16 वर्ष की थी। मैं तालाब का नाम नहीं बता सकती कि किसी तालाब में लड़की का शव गाड़ा गया था। तालाब गांव से थोड़ी दूर पर है। तालाब गांव से उत्तर तरफ है। मौके पर पुलिस आयी थी। मुकदमा मेरे बेटे मोनू उर्फ मुरारी ने लिखाई थी। उसके बाद लाश का पोस्टमार्टम हुआ था। घटना के बाद मैं कहीं गई नहीं थी, घर पर ही थी। लाश जब मिट्टी से निकाली गई तो मोनू वहाँ थे, पोस्टमार्टम में मोनू साथ गये थे या नहीं मैं नहीं जानती हूँ। मेरी बिटिया घर पर रहती थी, उसका दिमाग कम था, इसीलिए पढ़ने नहीं जाती थी। गवाह को धारा–161 दं०प्र०सं० का बयान पढ़कर अक्षरशः पढ़कर " घटना के बाद ... दिनांक 09.04.2016 को हम पति पत्नी... जब मुझे होश आया तो गांव की बहुत सी औरते... तुम किसी भी कुछ मत बताना मुझसे उन्होंने कहा कि... मैं गांव के लोगों से बोलती रही जब दिनांक 11.04.2016 को मेरा लड़का... जिस पर दिनांक 12.04.2016 को गांव के बाहर घोवहा तालाब के पास... दिनांक 09.4.2016 को जब मैं खेत पर थी, उसी समय रामरंग आकर उसका गला दबा दिये, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गयी थी। साहेब मेरी लड़की का असली कातिल मेरे पति रामरंग ही है" सुनाया गया, गवाह ने कहा कि ऐसा कोई बयान मैंने दरोगा जी को नहीं दिया था, दरोगा जी ने कैसे लिख लिया मैं इसकी कोई वजह नहीं बता सकती। मैं घटना के और पहले से ही रामरंग के साथ नहीं रहती हूँ। मेरे सगे देवर ओंकार थे उनकी मृत्यु हो गयी है, ओंकार की पत्नी किरन है, किरन के नाम सारी जमीन मेरे ससुर ने कर दी है, किरन गांव में ही रहती है। किरन का घर उस गांव में है, जिसमें किरन रहती है। मेरे पति के नाम कोई जमीन नहीं है न तो पहले थी और आज भी नहीं है। मेरी लड़की फांसी जहां लगायी थी वह स्थल मैंने देखा था। मेरी लड़की जो फांसी लगाकर मरी थी उसकी सूचना मैंने किसी भी अधिकारी व पुलिस को आज के बयान से पहले कहीं नहीं दिया है। यह कहना गलत है कि कि मेरे पति रामरंग व मेरी

देवरानी के अवैध सम्बन्ध थे, जिसको मेरी बेटी सुमन ने देख लिया था इसी कारण मेरे पति रामरंग ने मेरी बेटी सुमन का गला दबाकर गाड़ दिया था। पति होने के नाते रामरंग को बचाने बचाने के लिए आज मैं झूंठी गवाही न्यायालय पर दे रही हूँ। यह कहना गलत है कि मैं मुल्जिम रामरंग से मिल गयी हूँ और उनके दबाव प्रभाव में आकर न्यायालय पर सही बात नहीं बता रही हूँ।

11– अभियोजन साक्षी संख्या–04 एस०आई० ओमनाथ मणि त्रिपाठी ने सशपथ कथन किया है कि– दिनांक–14.04.2016 को मैं थाना–कौड़िया में हेड मोहर्रिर के पद पर तैनात था, उसी दिन वादी मुकदमा मोनू उर्फ मुरारी के लिखी हिन्दी तहरीर के आधार पर क्रमशः मु०अ०सं०–92/2016, अन्तर्गत धारा–302, 201, 120B भा०दं०सं०, थाना–कौड़िया जनपद गोण्डा राज्य प्रति रामरंग को मेरे बोलने पर सी०सी०टी०एन०एस० द्वारा कम्प्यूटर पर टाइप किया गया था। टाइप करने के बाद उसे सुरक्षित किया गया था उसके बाद उसकी प्रति भी निकाली गयी थी। **नकल चिक** कागज संख्या–4/1 लगायत 4/2 शामिल पत्रावली है, जिस पर तत्कालीन थाना प्रभारी के हस्ताक्षर है, जिसको मैं तस्दीक करता हूँ, जिस पर **प्रदर्श–क–3** डाला गया। वादी के लिखित तहरीर पर तत्कालीन एस०एच०ओ० महोदय का लिखित आदेश भी था। विवेचना अधिकारी ने मेरा बयान लिया था।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिरह करने पर उक्त साक्षी ने कथन किया है कि– मोनू उर्फ मुरारी एफ०आई०आर० लिखाने आये। थाने पर मोनू उर्फ मुरारी कितने बजे आये थे मुझे आज याद नहीं है। मोनू उर्फ मुरारी के साथ कोई और था या वह अकेले थे मुझे याद नहीं है। तहरीर वह घर से लिखकर आये थे। तहरीर मेरे सामने नहीं लिखी गयी थी। तहरीर मय हस्ताक्षर सहित मोनू उर्फ मुरारी ने थाने पर दिया था। मोनू ने तहरीर एफ०आई०आर० लिखने के लिए मुझे नहीं दिया था, बल्कि कोतवाल साहब को दिया था। कोतवाल साहब के लिखित आदेश पर मुकदमा पंजीकृत किया था। यह कहना गलत है कि मैंने कोतवाली साहब के दबाव में आकर मुकदमा पंजीकृत किया था। यह भी कहना गलत है कि वादी मोनू उर्फ मुरारी ने कोई तहरीर थाने पर न दी हो। यह कहना गलत है कि ऐसी कोई भी घटना घटित न हुई हो, जिसके बारे में एफ०आई०आर० पंजीकृत की गयी है। यह कहना गलत है कि उस समय मैं थाना कौड़िया में तैनात था और अपने स्टाफ को बचाने के लिए झूंठी गवाही दे रहा हूँ।

12– अभियोजन साक्षी संख्या–05 सेवानिवृत्त निरीक्षक इन्तखाब अहमद ने अपने बयान में सशपथ कथन किया है कि–दिनांक–14.04.2016 को मैं थाना–कौड़िया में प्रभारी निरीक्षक के पद पर तैनात था उसी दिनांक को मु०अ०सं०–92/2016, धारा–302,201,102B भा०दं०सं०, थाना–कौड़िया, जनपद–गोण्डा उ०प्र० राज्य बनाम रामरंग शुक्ला की विवेचना वाद मुकदमा पंजीकृत ग्रहण किया था। उसी दिन पर्चा नं०–1 किता किया था, जिसमें नकल तहरीर हिन्दी वादी व नकल रपट कायमी का अवलोकन कर किया किया था, पी०एम० रिपोर्ट कार्बन कापी का अवलोकन किया गया, बयान वादी मुकदमा मोनू उर्फ मुरारी का अंकित कर वादी के निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण किया था और नक्शा नजरी तैयार कर किया किया था। नक्शा नजरी कागज संख्या–5/3 शामिल पत्रावली है, जो मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षर में है, जिसे मैं तस्दीक करता हूँ, जिस पर **प्रदर्श–क–4** डाला गया। स्वतंत्र गवाह राधेश्याम पुत्र हजारी तथा मुंशीलाल पुत्र अमरनाथ किया किया था। अभियुक्त की तलाश कर गिरफ्तार कर बयान अंकित कर किता किया था। अभियुक्त को थाने दाखिल किया, रिमाण्ड की कार्यवाही का विवरण अंकित किया था। दिनांक–15.04.16 को पर्चा नं०–2 किता किया था, जिसमें अभियुक्त द्वारा जो दुपट्टा आत्महत्या दर्शाने के

लिए रखा गया था उसे जीप से उतरकर आगे–आगे चलकर पुलिस को दिया गया, जिसे कब्जा पुलिस में लेकर समक्ष गवाहान फर्द तैयार कर कब्जा पुलिस में लिया गया था। फर्द कागज संख्या–05/11 शामिल पत्रावली है, जिसे मेरे द्वारा बरामदगी स्थल पर तैयार किया गया था। तैयार करने के बाद गवाहों को पढ़कर सुनाया गया, अभियुक्त के हस्ताक्षर बनवाये गये थे, जिस पर मैंने भी अपना हस्ताक्षर बनाया था, जो पत्रावली में संलग्न कागज संख्या–5/11 है, जिसे मैं तस्दीक करता हूँ, जिस पर प्रदर्श–क–5 डाला गया। अभियुक्त रिमाण्ड की कार्यवाही का विवरण अंकित किया गया था। पर्चा नं०–03 दिनांक–23.04.2016 को किता किया गया था। मूल पंचनामा व पी०एम० रिपोर्ट के अवलोकन का विवरण किता किया था। दिनांक–28.04.2016 को पर्चा नं०–4 किता किया गया था, जिसमें जाँचकर्ता श्री संजीत सिंह तत्कालीन चौकी इन्चार्ज आर्यनगर, थाना–कौड़िया, जिला–गोण्डा का बयान अंकित किया गया, जिसमें उनके द्वारा संदिग्ध पाने पर शव को खोदकर निकालने हेतु रिपोर्ट दी गयी, जिसके आधार पर नायब तहसीलदार मजिस्ट्रेट शिव दयाल तिवारी की उपस्थिति में शव को खोदकर बाहर निकलवाकर पी०एम० हेतु भेजा गया था। पी०एम० रिपोर्ट में मृत्यु का कारण गला दबाने राय दम घुटने से आयी मृत्यु के कारण मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसको उक्त बयान को मैंने किया किया था। दिनांक–11.05.2016 को पर्चा नं०–5 किता किया गया था, जिसमें गवाह श्रीमती रानी मृतका की माँ का बयान अंकित किया था, किता किया था। दिनांक–22.05.2016 को पर्चा नं०–6 किता किया था, जिसमें मृतका के शव को उसके पिता रामरंग द्वारा तालाब में गाड़ा गया था, मजिस्ट्रेट के उपस्थिति में शव को मिट्टी में से दिनांक–12.04.2016 को निकाला गया ता, जिसकी कार्यवाही निरीक्षक संजीत सिंह द्वारा की गयी थी। शव बरामद वाले स्थान धोबहा तालाब का निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया और उसका नक्शा नजरी तैयार किया गया था। नक्शा नजरी मृतका की लाश वाले स्थान कागज संख्या–05/26 शामिल पत्रावली है, जो मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षर में है, जिसे मैं तस्दीक करता हूँ, जिस पर प्रदर्श–क–6 डाला गया। बयान मजिस्ट्रेट शिव दयाल तिवारी, बयान शोभित शुक्ला, सत्यदेव तिवारी, सिद्धनाथ तिवारी व दयाशंकर का अंकित कर किता किया था। तमामी तफ्तीस व पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए अभियुक्त रामरंग शुक्ला के विरूद्ध धारा–302, 201 भा०दं०सं० में आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया था। आरोप पत्र संख्या–59/2016, अ०सं०–92/2016 कागज संख्या–5/7 शामिल पत्रावली है, जो मेरे हस्तलेख में है, जिस पर मेरे हस्ताक्षर है, जिस पर बने अपने हस्ताक्षर व हस्तेलख को तस्दीक करता हूँ, जिस पर प्रदर्श–क–7 डाला गया।

दिनांक–07.10.2024 को पुनः मुख्य परीक्षा में उक्त साक्षी ने कथन किया है कि– दिनांक–01.12.2022 को मेरा साक्ष्य माननीय न्यायालय पर अंकित हुआ था। आज मुकदमा उपरोक्त के संबंध में मृतका कुमारी सुमन ने जिस दुपट्टा से अभियुक्त द्वारा मृतका के मृत्यु के संबंध में गांव के लोगों से फर्जी बताया था कि इसी दुपट्टे से कुमारी सुमन ने आत्महत्या किया है, जबकि उसका कहना गलत था। उपरोक्त दुपट्टा माननीय न्यायालय पर मेरे समक्ष आया हुआ है, जिसके कपड़े पुलन्दे पर संबंधित मु०अ०सं० व धारा अंकित है, जिस पर बने अपने हस्ताक्षर की मैं पुष्टि करता हूँ, जिस पर **वस्तु प्रदर्श–1** पूर्व में डाला गया है। उपरोक्त फर्द पर मेरा व गवाहान तथा अभियुक्त का हस्ताक्षर बना हुआ है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिरह करने पर उक्त साक्षी ने कथन किया है कि– मैं कौड़िया थाने में प्रभारी निरीक्षक के पद पर कार्यरत था। मेरी ज्वाइनिंग कब हुई थी, मुझे ठीक से याद नहीं है। यह घटना 09.04.2016 की है। घटना के दो दिन बाद मुझे घटना की तहरीर मिली थी। तहरीर अभियुक्त के

लड़के मोनू उर्फ मुरारी ने तहरीर दिया था। तहरीर मिलने के बाद मैं चौकी इंचार्ज आर्यनगर से जाँच करायी थी। चौकी इंचार्ज ने जाँच करके मुझे कोई रिपोर्ट नहीं दी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मैंने रिपोर्ट दर्ज किया था। मुकदमें की विवेचना मेरे द्वारा स्वयं की गयी थी। पर्चा नं०–1 मैं चौदह तारीख को तैयार किया था। पर्चा नं०–1 मे वादी का बयान लिया था, निरीक्षण घटनास्थल का उल्लेख किया गया है। घटनास्थल पर मैं घटना के चौथे दिन गया था। वहां मुझे गांव के लोग मिले थे। गांव के जो लेग मुझे मिले थे उनका नाम याद नहीं है, उनका नाम पर्चा में उल्लेखित किया था। काफी लोग मिले थे दो–चार लोगों का बयान लिया था। वादी मुकदमा के घर से खाली वादी मुकदमा मिला था, जो अभियुक्त का लड़का था। वादी मुकदमा के लड़के अलावा उनके घर का और कोई नहीं मिला था। घटनास्थल पर मैं दिन में गया था, समय मुझे याद नहीं है। रामरंग को दिनांक–14.04.2016 को ही गिरफ्तार किया था। इनकी गिरफ्तारी मल्लापुर बाजार बहराइच गोण्डा रोड से की गयी थी। गिरफ्तारी का समय मुझे याद नहीं है। गिरफ्तारी के समय वादी मुकदमा जो अभियुक्त का लड़का है, मौजूद था। मेरे साथ मेरे हमराही भी थे। गिरफ्तारी के समय कौन–कौन था, यह गिरफ्तारी मेमो देखने पर बता सकता हूँ। गिरफ्तारी मेमो मौके पर ही तैयार किया गया था। अभियुक्त को गिरफ्तार करके थाने पर ले गये थे, कितने बजे लेकर आये थे, समय याद नहीं है। थाने से दूसरे दिन घटनास्थल पर ले गये थे। उस कमरे का निरीक्षण किया था, जहाँ घटना घटी थी। कमरे का दरवाजा या कुण्डी टूटी हुई थी या नहीं मुझे याद नहीं है। घटनास्थल से एक दुपट्टा बरामद हुआ था, रामरंग द्वारा झूंठा बताया गया था कि इसी दुपट्टा से मृतका ने फाँसी लगाया ता। दुपट्टा किस रंग का था मुझे इस समय याद नहीं है। दुपट्टा दो हिस्से में फटा हुआ था। दुपट्टा बीच से दो भाग में कटा हुआ था। दुपट्टा गाँव वालों के सामने फर्द बनाकर सील किया गया था। गाँव का कौन–कौन था, नाम नहीं बता सकता हूँ, फर्द में अंकित है। रामरंग का बयान मैंने जहाँ गिरफ्तारी हुई थी वहां पर लिया था। मृतका का शव जहाँ पर दफनाया गया ता उस स्थल का निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया था, मेरे सामने शव को निकलाया गया था। दिनांक–12.04.2016 को शव निकलाया गया था, जिस समय शव को निकलाया जा रहा था उस समय मजिस्ट्रेट पुलिस व अन्य लोग मौजूद थे। वहां पर रामरंग मौजूद नहीं थे। यह कहना गलत है कि मैंने थाने पर ही बैठकर सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण की हो। यह कहना गलत है कि मैंने रामरंग को मल्लापुर से न गिरफ्तार करके उसके घर से गिरफ्तार किया था।

13– <u>अभियोजन साक्षी संख्या–06 सेवानिवृत्त नायब तहसीलदार शिव दयाल तिवारी</u> साक्षी <u>पंचायतनामा है</u> इस साक्षी ने अपने बयान में सशपथ कथन किया है कि– दिनांक–12.04.2016 को उपजिला मजिस्ट्रेट, गोण्डा के आदेश के अनुपालन में ग्राम गौसिहा में स्थित धोबहा तालाब, थाना–कौड़िया, जनपद–गोण्डा में मृतका कुमारी सुमन पुत्री रामरंग आयु 16 वर्ष के शव को तालाब से खुदाईकर निकलवाया गया था, मौजूद पुलिसकर्मी व परिजन रिश्तेदार तथा गांव के लोग उपस्थित थे, जिनमें से पंचान नियुक्त कर पंचायतनामा की कार्यवाही की गयी थी, **<u>पंचायतनामा</u>** मेरे बोलने पर मौके पर मौजूद उपनिरीक्षक संजीत कुमार सिंह के द्वारा लिखा गया था, तत्पश्चात् सर्व संबंधित के अलामात बनवाये गये थे, मैंने भी अपना हस्ताक्षर बनाया था। मौके पर पंचायतनामा पढ़कर सुनाया गया था। तत्पश्चात् सर्व सम्बन्धित के हस्ताक्षर बनवाये गये थे। मृतका के मुंह और नाक से खून आना दिखाई दे रहा था, गर्दन पर सूजन थी। **<u>पंचायतनामा</u>** कागज संख्या–05/12 लगायत 5/13 शामिल पत्रावली है, जिसको गवाह को दिखाया गया तो गवाह ने उस पर बने अपने हस्ताक्षर व तथ्यों को तस्दीक किया गया और गवाह ने कहा

कि यह वही पंचायतनामा है, जो मैंने बोलकर लिखाया था, जिस पर पूर्व से प्रदर्श–क–2 अंकित है। मृतका के शव को सफेद पालीथीन में रखकर उस पर सफेद कपड़े से रखकर सर्व सील मोहर किया गया था, मौके पर नमूना मोहर व आवश्यक प्रपत्र तैयार किये गये थे। चिट्ठी प्रभारी निरीक्षक कागज संख्या–05/14, नमूना मोहर कागज संख्या–05/15, चिट्ठी सी०एम०ओ० कागज संख्या–05/16 व पुलिस फार्म नं०–13 कागज संख्या–05/13 व फोटो नाश कागज संख्या–5/18 संबंधित मृतका सुमन का मेरे द्वारा तैयार किया गया था, जिस पर मैंने अपना हस्ताक्षर बनाया था। उपरोक्त प्रपत्रों को गवाह को दिखाया गया तो गवाह ने उस पर बने अपने हस्ताक्षर व तथ्यों को तस्दीक किया, जिस पर क्रमशः **प्रदर्श–क–8, प्रदर्श–क–9, प्रदर्श–क–10** और **प्रदर्श–क–11** डाला गया। विवेचनाधिकारी ने मेरा बयान लिया था।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिरह करने पर उक्त साक्षी ने कथन किया है कि– वर्ष 2016 में मैं सदर तहसील गोण्डा में नायब तहसीलदार के पद पर कार्यरत था। मैं एस०डी०एम० के आदेश पर मैं घटनास्थल पर पंचायतनामा की कार्यवाही हेतु गया था। मेरे साथ मेरा अर्दली व क्षेत्रीय लेखपाल मौके पर गये थे। मैं सीधे मौके पर पहुंचा था। मेरे पहुंचने के पहले थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गयी थी। मेरे पहुंचने के बाद पंचायतनामा की कार्यवाही शुरू की गयी थी। शव खुदवाने व पंचायतनामा की कार्यवाही सम्पन्न करने में डेढ़ घंटा का समय लगा था। शव मेरे सामने खोदा गया था। शव पुलिस वाले कोई एक आदमी लेकर आये थे उसी ने शव को खोदा था। शव को खोदने वाले व्यक्ति का नाम मैं नहीं जानता हूँ। मुझे इस बात का ध्यान नहीं है कि जिस व्यक्ति ने शव को खोदा था उसका हस्ताक्षर पंचायतनामा पर बनवाया था या नहीं। पंचायतनामा की कार्यवाही मौके पर हुई थी। पंचायतनामा की कार्यवाही समाप्त होने के बाद तथा शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजने के बाद मैं मौके से वापस चला आया था। पंचायतनामा पर पंचान नियुक्त तथा मेरे हस्ताक्षर व उपनिरीक्षक तथा कान्सटेबिल का हस्ताक्षर हुआ था। इस कार्यवाही के बाद दरोगा जी ने मेरा कोई बयान नहीं लिया था इसके बाद इस मामलें के बाद दरोगा जी से मेरा मुलाकात नहीं हुई थी। यह कहना गलत है कि मृतका के शव का पंचायतनामा मौके पर न होकर मृतका के घर पर हुई है। यह कहना गलत है कि मेरे निर्देश पर दरोगा जी ने पंचायतनामा की कार्यवाही समाप्त कर ली हो और मैं मौके से तत्काल चला आया हूँ। यह कहना गलत है कि मैंने दरोगा जी को सादे कागज पर अपना हस्ताक्षर करके दे दिया हो और दरोगा जी ने पंचायतनामा की सारी कार्यवाही कर ली हो।

14– अभियोजन साक्षी संख्या–07 चिकित्सक संजय कुमार मृतका का शव–विच्छेदनकर्ता है इस साक्षी ने अपने बयान में सशपथ कथन किया है कि– मैंने दिनांक–13.04.2016 को आई० सर्जन, जिला–अस्पताल गोण्डा के पद पर रहते हुए **मृतका कुमारी सुमन पुत्री रामरंग शुक्ला** निवासी गौसिहा, थाना–कौड़िया, जिला–गोण्डा उम्र 16 वर्ष का **शव विच्छेदन** किया था। शव की पहचान कां० विनय कुमार यादव, थाना–कौड़िया द्वारा की गयी थी, दिलीप कुमार पुत्र जटाशंकर तिवारी निवासी परसौनी पुरवा, थाना–कटरा बाजार, गोण्डा द्वारा बी शव की पहचान की गयी थी।

बाह्य परीक्षण–

मृतका की लम्बाई 155 सेमी० एवं कद काठी औसत थी। मृतका के शरीर पर एक शमीज, एक पैजामा, एक ब्रा, एक चड्ढी एवं ताबीज के साथ गले में काला धागा, एक जोड़ी कान का कील पाया गया था। टाइगरमाटिस दोनों हाथों और पैरों से पास कर चुका था। शरीर सूजा हुआ था, शरीर में विभिन्न स्थानों से चमड़ा गायब (पील्ड आफ) हो गया था, सिर के बाल उखड़ गये थे। शरीर पर कई जगहों पर मिट्टी लगी थी

एवं वाशरमैन साइन पाया गया। आँखें आंशिक रूप से डीकम्पोज हो गयी थी, मुंह खुला थी, जीभ बाहर निकली थी एवं शरीर के सबी छिद्रों से खून मिला, तरल पदार्थ बाहर आ रहा था। दांत 15/13 मिले थे और दांत ढीले थे।

एन्टीमार्टम इंजरी–

1–नीलगू निशान 4 सेमी X 3 सेमी एक्सटर्नल (External) निशान (Notch) के ऊपर।

2– नीलगू निशान 4 सेमी X 3 सेमी गर्दन के दाहिनी तरफ कान से 5 सेमी नीचे।

3–नीलगू निशान 4 सेमी X 3 सेमी गर्दन के बांये तरफ बांये कान से 3 सेमी नीचे।

4–नीलगू निशान दोनों कोहनी पर।

आन्तरिक परीक्षण–

मस्तिष्क की झिल्लियां आंशिक रूप से डीकम्पोज हो चुकी थी। मस्तिष्क तरलीकृत (Lequified) हो गया था। लैरिग्स एवं वोकलकार्ड Bruised चोटिल थे। हीमोटोमा एवं कंजेशन था। ग्रीवा के आंतरिक उत्तकों में ब्रूजिंग हीमोटोना और कंजेशन मिला।

Hyoid Bone का Left Comee का बाहर की ओर अलगांव (Evalsion) हो चुका था। थाइराइड, आहारनली, श्वास नली, प्लूरा, फेफड़े, पेरी कार्डियम कंजेस्टेड थे। हृदय 250 ग्राम के करीब था एवं Liquified Blood मिला। पेरीटोनियल कैविटी में तरल खून युक्त मिला। आमाशय खाली था, छोटी आँत में पेस्टी मेटेरियल एवं गैसेज मिले, बड़ी आँत में फिकल मैटेरियल के साथ गैसेज मिले। यकृत, प्लीहा, गुर्दे आंशिक रूप से प्यूटरीफाइड मिले, मूत्राशय खाली मिला, बच्चेदानी खाली थी।

अभिमत–

मृतका की मृत्यु 03 से 04 दिन पूर्व की हो सकती है।

मृत्यु का कारण–

मृत्यु का कारण मृत्यु पूर्व Throtting द्वारा Asphyxia (दम घुटना) है। सभी चोटें मृत्यु पूर्व की है, स्वयं कारित नहीं है एवं चोटें विकसित होने पर मृत्यु कारित करने हेतु पर्याप्त है।

एक मोलर दाँत एवं नाखून का टुकड़ा डी०एन०ए० जाँच हेतु मेरे द्वारा भेजा गया था। मृतका कुमारी सुमन का शव विच्छेद से संबंधित 08 प्रपत्र प्राप्त हुए थे। शव विच्छेदन 03.45 पी०एम० से 05.15 पी०एम० दिनांक–13.04.2016 को दो डाक्टरों के पैनल द्वारा किया गया था, जिसमें मेरे अलावा डॉ० विनय कुमार बी शामिल थे। शव विच्छेदन आख्या कागज संख्या–5/20 ता 5/21 मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षर में है, जो संलग्न पत्रावली है, जिसे देखकर गवाह ने पुष्टि की, जिस पर **प्रदर्श–क–12** डाला गया।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा **जिरह** करने पर उक्त साक्षी ने कथन किया है कि– वर्ष 2016 में मैं जिला अस्पताल में तैनात था। मृतका का पोस्टमार्टम मेरे द्वारा किया गया था। मृत्यु से 3 से 4 दिन के अंदर पोस्टमार्टम किया गया था। पोस्टमार्टम करने से पूर्व मृतका का शरीर गड्ढे से निकालकर लाया गया या नहीं, पर मिट्टी लगी थी। यदि कोई स्वस्थ आदमी अपनी स्वाभाविक मृत्यु से मरता और उसका शरीर गड्ढे में दफन कर दी गयी तो भी 3–4 दिन बाद उसकी बाडी निकालकर पोस्टमार्टम हो तो उसकी बाडी भी मृतका की स्थिति में ही होगी। Decomposition के Changes स्वाभाविक मृत्यु एवं अन्य कारणों से हुई मृत्यु में भी पाया जाता है। यह सही है कि यदि कोई व्यक्ति स्वाभाविक मृत्यु से मरता है और उसका

शरीर दफन कर दिया जाए तो 3–4 दिन बाद उसके शरीर में भी सूजन, चमड़ा गायब होगा, सिरे के बाल उखड़ जाएंगी, जैसी स्थितियां उत्पन्न हो जायेगी। मृत्यु के पहले चार चोटें पायी गयी थी, ये चोटें शरीर के दफन होने की स्थिति में नहीं आयेंगी। मृत्यु का कारण दम घुटना बताया गया है। यह कहना गलत है कि शरीर निकालते समय या ट्रांसपोर्ट करते समय भी ये चोटें आ सकती है। यह कहना गलत है कि पुलिस के दबाव में मैंने फर्जी पोस्टमार्टम किया। यह कहना गलत है कि मैंने मृतका के शरीर पर आयी मृत्यु पूर्व चोटें गलत दिखाई है। यह कहना गलत है कि मृतका के शरीर पर ऐसा कोई चोट नहीं पायी गयी। मृतका का मृत्यु पोस्टमार्टम के 3 से 4 दिन पूर्व की लगभग हो सकती है।

15– अभियोजन की ओर से उपरोक्त साक्षीगण के अतिरिक्त अन्य कोई साक्षी प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। अभियोजन की याचना पर अभियोजन का साक्ष्य का अवसर समाप्त किया गया। अभियुक्त न्यायालय उपस्थित आया। अभियुक्त के बयान दिनांक–17.12.2025 को अन्तर्गत धारा–313 दं०प्र०सं० अभिलिखित किये गये, जिसमें अभियुक्त द्वारा अभियोजन कथानक को गलत व झूंठा रंजिशन होना कहा गया है और कथन किया है कि– मैं निर्दोष हूँ, यह मुकदमा झूंठा रंजिशन है। मृतका ने स्वयं आत्महत्या किया है, मेरा पत्नी से विवाद रहता था।

16– सफाई साक्ष्य में अभियुक्त की ओर से प्रतिरक्षा साक्षी सं०–1 गोकुला प्रसाद व साक्षी सं०–2 जगदीश को प्रस्तुत किया गया है, जिन्हें न्यायालय में परीक्षित कराया गया है।

मौखिक प्रतिरक्षा साक्षीगण का अभिकथन निम्न प्रकार हैं–

17– <u>प्रतिरक्षा साक्षी सं०–01 गोकुला प्रसाद</u> ने सशपथ बयान किया है कि– मैं रामरंग व वादी मुकदमा मोनू को भलीभांति जानता पहचानता हूँ। ये दोनों लोग हमारे पड़ोसी है। रामरंग दो भाई थे उनके छोटे भाई की मृत्यु कुछ वर्ष पहले हो चुकी है। ओमकार के बीबी बच्चे भी है। रामरंग के पिता जवाहर लाल ने अपनी जमीन का कुछ हिस्सा ओमकार की पत्नी के नाम बैनामा कर दिया था, जिसकी जानकारी होने पर रामरंग की पत्नी श्रीमती रानी रामरंग पर इस बात का दबाव बनाने लगी कि अपने पिता से कहकर उनके नाम भी बैनामा करा दे। रामरंग के विरोध करने पर उनकी पत्नी रानी देवी रामरंग से लड़ाई झगड़ा भी किया करती थी। रामरंग के सभी बच्चे भी चाहते थे कि उनके बाबा जवाहर लाल उनकी माँ के नाम भी बैनामा करें। रामरंग के बच्चे अपनी माता से अधिक लगाव रखते थे। घटना वाले दिन मैं अपने घर पर मौजूद था मेरा घर रामरंग के घर के बगल में है। रामरंग व उनकी पत्नी खेत में लगी गेहूँ की फसल को काटकर उनके गेहूं के बोझ को लेकर आये थे। रामरंग के साथ उनकी पत्नी भी साथ ही में खेत से आयी थी। रामरंग व उनकी पत्नी गेहूँ का बोझा अपनी सहन पर रखने के बाद घऱ के अन्दर जाने लगे तो घर का दरवाजा अन्दर से बन्द था। रामरंग व उनकी पत्नी घऱ में सुमन–सुमन कहकर बुला रहे थे काफी देर तक बुलाते रहे, किन्तु दरवाजा अन्दर से नहीं खुला। तमाम लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी थी। इस दौरान मैं भी वहां पहुंच गया था, जब मैं वहां पहुचा था तो अन्दर से कोई आवाज नहीं आ रही थी, न ही दरवाजा खुल रहा था तो गांव के लोगों द्वारा रामरंग के घर का दरवाजा तोड़ा गया और अन्दर जाकर देखा गया कि रामरंग की पुत्री ने फांसी लगा ली। यह घटना देखकर रामरंग व उनकी पत्नी चिल्लाने लगी और बेसुध हो गये। आसपास के मौजूद लोगों द्वारा मृतका को फांसी से उतारा गया था वे इसलिए उतारे कि सांस चल रही हो तो बच जाए, परन्तु उसकी मृत्यु हो चुकी थी फिर गांव वालों ने ही रामरंग से कहकर उनकी पुत्री सुमन की मिट्टी करा दी थी। रामरंग अपनी पुत्री सुमन को बहुत मानते चाहते थे रामरंग ने सुमन की हत्या नहीं की है, वे निर्दोष है।

रामरंग का पुत्र मोनू दिल्ली से आने के बाद पुनः अपने बाबा जवाहर से अपनी माता के नाम जमीन का बैनामा करने का दबाव बनाने लगा, जिस पर रामरंग व जवाहर ने मना कर दिया इसी कारण से मोनू ने अपने पिता के विरूद्ध थाने में सुमन की हत्या करने का मुकदमा पंजीकृत करवा दिया, जबकि रामरंग बेकसूर है।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (क्रिमिनल) द्वारा जिरह करने पर उक्त साक्षी ने कथन किया है कि– आज मैं रामरंग के कहने व बुलाने पर उनके पक्ष में गवाही देने आया हूँ। रामरंग के साथ कचेहरी आकर मैं पहले उनके अधिवक्ता से मिला, उसके बाद मैं उनके साथ न्यायालय पर उपस्थित आया। इस मुकदमें में रामरंग जेल में गये थे, यह मुकदमा रामरंग की पुत्री की हत्या का मुकदमा है। रामरंग गलत मामलें में जेल गये थे, किन्तु गलत मामलें में जेल जाने के बावत मैंने कोई भी लिखा पढ़ी में शिकायत किसी पुलिस के उच्चाधिकारी से नहीं की थी। रामरंग अपने घर की सारी बातें मुझसे साझा नहीं करते है, लेकिन रामरंग व उनके परिवार से मेरा व मेरे परिवार का संबंध है, जो मुख्य परीक्षा में मैंने बैनामें वाली बात बतायी है, वह बैनामा होते समय मैं साथ में नहीं था न ही मैं बैनामें में हासिया गवाह हूँ। यह कहना गलत है कि मुख्य परीक्षा में जो बयान दिया है, रामरंग के अधिवक्ता के सिखाने पढ़ाने पर दिया है। यह भी कहना गलत है कि रामरंग का पड़ोसी व मेली मदद्गार होने के नाते आज मैंने मिथ्या एवं निराधार आधारों पर विधिक सलाह लेकर रामरंग को बचाने के लिए झूंठी बातें बतायी है। जब सुमन के हत्या के मामलें में रामरंग को पुलिस पकड़कर ले गयी थी तब मैं में ही यह बात सुनी थी, लेकिन मैंने रामरंग को बचाने के लिए कोई बी प्रयास नहीं किया था।

18– प्रतिरक्षा साक्षी सं०–02 जगदीश ने सशपथ बयान किया है कि– रामरंग की लड़की सुमन की मृत्यु हुई, रामरंग की लड़की की मृत्यु फाँसी लगाकर हुई थी। मैं मौके पर था, भीड़ काफी थी, किसने लड़की को फाँसी से उतारा था मैंने नहीं देखा था। रामरंग चिल्लाने और रोने लगे थे, रामरंग ने फांसी से अपनी लड़की को नहीं उतारा था। लड़की फाँसी क्यों लगायी थी मुझे पता नहीं है। मेरा घर रामरंग के घर के पीछे है, जिस दिन की घटना उस दिन रामरंग की बीबी गेहूँ का बोझा खेत से लेकर आये थे। घर का दरवाजा अन्दर से बन्द था हमने आवाज दी थी, किन्तु दरवाजा नहीं खुला था, शोर मचाने पर मौके पर बहुत लोग आ गये थे। मौके पर गांव के लोगों ने दरवाजे को तोड़ा था। हमने देखा था कि लड़की फाँसी से लटक रही थी। यह देखकर रामरंग व उसकी बीबी चिल्लाने व रोने लगे थे। लड़की को फांसी से उतारकर गांव के पास तालाब के किनारे दफनाया ता। रामरंग के साथ कई लोग मौके पर थे। मौके पर ओंकार नहीं थे, गांव के लोग थे, ओंकार बहुत पहले मर चुके है। ओंकार के छोटे–छोटे बच्चे व बीबी है। रामरंग के पिता जवाहर ने अपनी छोटी बहू को जमीन का बैनामा कर दिया था। रामरंग के बेटे दबाव बनाते थे कि बाबा से मेरी माँ के नाम भी जमीन लिखवाओ। यही बात लेकर रामरंग के लड़के मन–मुटाव रखते थे। रामरंग को अपनी लड़की सुमन को फांसी लगाते हुए मैंने अपनी आँखों से देखा और न ही मारते हुए देखा था।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जिरह करने पर उक्त साक्षी ने कथन किया है कि– आज मैं रामरंग के कहन पर गवाही देने आया हूँ। इस मुकदमें में रामरंग जेल गये थे। सुमन की लाश को पुलिस वालों ने तालाब के किनारे से खुदवाया था तथा पोस्टमार्टम कराने को ले गये थे। यह मुकदमा सुमन की हत्या का मुकदमा है। इस मुकदमें का वादी रामरंग का लड़का मोनू है। आज मैंने जो बयान दिया है वह बयान पहली बार दिया है। **यह कहना गलत है कि रामरंग ने अपनी बेटी की हत्या करके मारा है। रामरंग की लड़की सुमन की लाश जब तालाब के किनारे निकलवायी थी तब पता**

चला था कि वह गर्भवती थी, सुमन शादी शुदा नहीं था। यह कहना गलत है कि अवैध संबंधों के कारण सुमन गर्भवती हो गयी और इसी कारण रामरंग ने अपनी इज्जत बचाने के लिए सुमन की हत्या करके तालाब में गाड़ दिया। यह भी कहना गलत है कि रामरंग का मैं पड़ोसी व मेली मदद्गार होने के नाते मैं उसे बचाने हेतु झूंठी गवाही दे रहा हूँ।

19– उभयपक्ष की याचना पर उभयपक्ष का साक्ष्य अवसर समाप्त किया गया और प्रस्तुत दण्ड वाद बहस हेतु नियत किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा बहस की गई।

बहस–विश्लेषण

20– अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता बहस हेतु उपस्थित नहीं हुए, बार–बार पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता बहस हेतु उपस्थित नहीं आये है और न ही अभियुक्त द्वारा बहस की गयी है, किन्तु अभियुक्त द्वारा अभियोजन कथानक का खण्डन करते हुए स्वयं को निर्दोष कहा है तथा मुकदमा झूंठा, रंजिशन दर्ज लिखाया जाने का कथन किया गया है।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त द्वारा अपनी सगी पुत्री को दुपट्टे से गला घोटकर निर्ममता क्रूरता पूर्वक हत्या कारित की है और हत्या करके अपनी पुत्री को गड्ढे में दबा दिया, मृतका की लाश को अभियुक्त की निशानदेही पर गड्ढा खुदवाकर निकलवाया गया और अभियुक्त के कब्जे से ही आलाकत्ल दुपट्टा बरामद किया गया है। वादी मुकदमा मृतका का सगा भाई है और उसने अपने बयान में यह स्पष्ट रूप से कथन किया है कि अभियुक्त रामरंग ने ही अपनी बेटी की हत्या किया है और बिना सूचना दिये उसके शव को जमीन में दफना दिया गया, मृतका के शरीर में गम्भीर चोटें आयी है, जो कि मृत्यु से पूर्व की है। अतः अभियुक्त को अधिक से अधिक कारावास से दण्डित किये जाने की याचना की गयी है।

21– उभयपक्ष की बहस सुनी गयी तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि यह मुकदमा वादी मुकदमा की तहरीर प्रदर्श–क–1 के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध नामित पंजीकृत किया गया है और विवेचना के उपरान्त विवेचक द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया है।

22– संक्षेप में अभियोजन कथानक यह है कि–*प्रार्थी दो भाई व एक बहन है। बहन माँ–बाप के साथ गाँव पर रहती थी, जबकि बड़ा भाई सोनू उर्फ मुरारी इलाज हेतु लखनऊ में भर्ती है। मैं दिल्ली में था, मुझे अन्य सूत्रों से पता चला कि 09.04.2015 को उसकी संदिग्ध हालात में मृत्यु हो गयी है, जिसकी मेरे पिता ने आनन फानन में मिट्टी कर दी है। जब मैंने उनसे सम्पर्क करके पता करना चाहा तो उन्होंने कहा कि सांप काट लिया है, जब आज मैं दिल्ली से घर पहुँचा तो पूछा मिट्टी कहा दी है, तो उन्होंने कहा कि मैंने लावारिस लाश की तरह सरयू जी में तैरा दिया है, फिर लोगों द्वारा पता चला कि इन्होंने तालाब में दफना दिया है।*

23– अभियोजन द्वारा अपने कथानक के समर्थन में कुल 07 साक्षीगण न्यायालय में प्रस्तुत किये गये है, जिन्हें न्यायालय में परीक्षित कराया गया है, जिनका साक्ष्य सार निम्न प्रकार है–

24– साक्षी पी०डब्लू०–01 ने कथन किया है कि मैं दिल्ली में मजदूरी करता हूँ। हम दो भाई है और एक बहन थी। मृतका सुमन का मैं छोटा भाई हूँ। मेरी बहन मृतका सुमन घर पर रहती थी। घटना–09.04.2016 की है, मुझे गाँव के लोगों द्वारा यह जानकारी हुई कि मेरी बहन की मृत्यु हो गयी। जानकारी

फोन द्वारा दी गयी थी। मेरे पिताजी ने बिना किसी सगे सम्बन्धी को सूचना दिये आनन–फानन में शव को दफन कर दिया था। जब मैंने गाँव वालों से जानकारी करना चाहा कि मेरी बहन की मृत्यु कैसे हुई तो लोगों ने बताया कि मृत्यु का कारण संदेहपूर्ण है। आनन–फानन में शव को दफनाया गया है। फोन करके सूचना देने वाले से और जानकारी चाही तो उन्होंने फोन काट दिया। उसके तुरन्त बाद मैंने अपने पिता रामरंग शुक्ला को फोन किया, लेकिन उनका फोन बन्द आ रहा था।

दिनांक–26.09.2019 को पुनः मुख्य परीक्षा में उक्त साक्षी ने कथन किया है कि– मैं दो भाई हूँ। मेरे बड़े भाई का नाम सोनू शुक्ला उर्फ पूजारी है। घटना के समय मैं दिल्ली में था तथा मेरे भाई सोनू लखनऊ में मेडिकल कालेज में भर्ती थे। उनका इलाज चल रहा था। मेरा ननिहाल परसौनी पुरवा कटरा बाजार है। मेरी बहन सुमन भी ननिहाल में आती जाती थी। होली पर मेरी बहन ननिहाल से घर आयी थी। मुझे गाँव वालों के द्वारा मेरी बहन सुमन की मृत्यु की सूचना मिली और गाँव वालों ने यह भी बताया था कि तुम्हारी बहन की मृत्यु संदेहात्मक हुई है। मैंने रिश्तेदारी से जब पूछा तो उन लोगों ने बताया कि हम लोगों को सुमन के मृत्यु की सूचना तुम्हारे पिता द्वारा नहीं बताया गया है और तुम्हारे पिता ने चुपचाप अन्तिम संस्कार तुम्हारी बहन का करा लिया। तब मैं दिल्ली से गोण्डा अपने घर आया और अपने पिता से अपने बहन के मृत्यु के बारे में पूछा तो बताया कि सांप काट लिया है और उसकी लाश को सरयू नदी में प्रवाहित कर दिया है। जब मैं गाँव वालों से मिला तो गांव वालों ने बताया कि तुम्हारे पिता हम लोगों से बताया कि सुमन ने स्वयं फाँसी लगा लिया तब मैं घर आकर पिता से पूछा कि गांव वाले बता रहे है कि आपने गांव वालों से बताया है कि मेरी बहन सुमन फांसी लगाकर मरी है, तब मेरे पिता ने मुझसे कहा कि बहुत कानूनी बनते हो जो हाल तुम्हारी बहन का किया है, वही हाल तुम्हारा व तुम्हारी मां का भी करेंगे। जब मेरी मां ने पूछा तो उसे थप्पड़ से मारा। **मेरे द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर दिनांक–12.04.2016 को मजिस्ट्रेट महोदय व पुलिस वाले धोबहा तालाब के पास आये थे। पुलिस वालों व हम लोगों की मौजूदगी में मेरे पिता रामरंग ने तालाब के किनारे से मिट्टी खोदकर मेरी बहन कुमारी सुमन का शव बाहर निकाला। शव को मैंने देखा। नाक व मुँह से खून बहता दिखाई दिया तथा चेहरा व गर्दन सूजा हुआ था। मौके पर मजिस्ट्रेट महोदय ने पंचायतनामा दरोगा जी से बोलकर लिखाया था। मौजूदा समय में रामरंग मेरे ऊपर गवाही न देने का दबाव बनाते है और घर में नहीं घुसने देते। इस वजह से डर के मारे मैं बाहर रहता हूँ और वहीं से आकर गवाही दे रहा हूँ। मृतका सुमन मेरी छोटी बहन थी, त्रुटिवश मुख्य परीक्षा के शुरूआत में बड़ी बहन लिखा दिया है, जो गलत है।**

न्यायालय द्वारा प्रतिपरीक्षा करने पर उक्त साक्षी ने कथन किया है कि मेरी बहन अब वापस नहीं आएगी। मेरी बहन रामरंग द्वारा ही मारी गई है। रामरंग के अपने छोटे भाई की पत्नी से नाजायज सम्बन्ध थे। उस बात को लेकर रामरंग ने घटना कारित की, क्योंकि मेरी बहन ने वो सब देख लिया था। मैं उस समय दिल्ली में था। मुझे किसी ने फोन से सूचना दिया था। सूचना मिलने पर मैं ट्रेन पकड़कर 24 घण्टे में आ गया था। तलाब में से लाश निकाली तो मैं था। रामरंग ने ही लाश निकालते समय उपस्थित थे। रामरंग को जगह पता थी। यही खोदकर निकाले। पैर भी बाँध दिये थे मृतका के। मेरे गाँव पहुँचने के अगले दिन रामरंग गिरफ्तार हुआ थे ओर तीसरे दिन लाश बरामद हुई थी। केवल लाश मिली थी और कुछ नहीं मिला था। मृतका ने कपड़े पहने थे। पोस्टमार्टम के बाद अलग खेत में मृतका को गाड़ दिया था। उसकी शादी नहीं हुई थी, इसलिए जलाया नहीं था।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रतिपरीक्षा करने पर उक्त साक्षी ने कथन किया है कि मेरी बहन बीमार भी रहती थी। इस घटना के पहले भी मेरी बहन सुमन ने आत्महत्या का प्रयास किया था, परन्तु वह बच गयी थी। वह दिमाग की कुछ हल्की थी। हल्की दिमाग होने के कारण मेरी बहन बार–बार आत्महत्या का प्रयास करती थी और इसी वजह से उसने आत्महत्या कर लिया था। मेरे बाबा का नाम जवाहर लाल शुक्ला है। उनके दो लड़के थे, बड़े पुत्र का नाम रामरंग, छोटे पुत्र का नाम ओंकार है। ओंकार की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी है।

25– साक्षी पी०डब्लू०–03 ने कथन किया है कि मृतका मेरी सगी बेटी थी, जिसका नाम सुमन था। घटना वर्ष 2016 की है, महीना चैत का था। घटना वाले दिन हम व मेरे पति दोनों खेत में थे। मैं गेहूँ का बोझ बांध रही थी, उठवा रही थी तथा ढो रही थी। फिर अभी खुद कहा कि हम दोनों लोग गेहूँ काट रहे थे, ढो नहीं रहे थे। फिर हम दोनों लोग साथ में घर आये। मैं और मेरे पति रामरंग घर चले आये। जब मैं घर के अन्दर देखा तो कमरे का दरवाजा बन्द था, उसको पीटा नहीं खुला मेरे लड़की फांसी लगायी थी। हल्ला मचाया गांव के तमाम लोग आ गये। दरवाजा तोड़ा गया तो देखा कि लड़की फांसी लगाकर मर गई। मैं और मेरे पति रोने चिल्लाने लगे। गांव के लोग आये तो कहे कि लड़की की शादी नहीं हुई है उसको मिट्टी में गाड़ दो तालाब में मिट्टी दे दिया गया। मेरे पति रामरंग शुक्ला ने मेरी बेटी को नहीं मारा था। मुझे डराया धमकाया नहीं था। घटना के बाद मैं अपने घर पर थी, कहीं गई नहीं थी। घटना के बाद मेरा लड़का मोनू उर्फ मुरारी आ गये थे। मुकदमा उन्होंने ही लिखाया था। दरोगा जी ने मेरा कोई बयान नहीं लिया था। आज मैं स्वेच्छा से बयान दे रही हूँ। कोई जोर दबाव नहीं है। मेरे पति ने मेरी बेटी की हत्या नहीं की थी। मुझे अब कुछ नहीं कहना है।

अभियोजन द्वारा उक्त साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया है और जिरह की अनुमति चाही गयी है।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जिरह करने पर साक्षी ने कथन कि है कि मेरी लड़की मृतका सुमन की आयु घटना के समय लगभग 16 वर्ष की थी। मैं तालाब का नाम नहीं बता सकती कि किसी तालाब में लड़की का शव गाड़ा गया था। तालाब गांव से थोड़ी दूर पर है। तालाब गांव से उत्तर तरफ है। मौके पर पुलिस आयी थी। मुकदमा मेरे बेटे मोनू उर्फ मुरारी ने लिखाई थी। उसके बाद लाश का पोस्टमार्टम हुआ था। घटना के बाद मैं कहीं गई नहीं थी, घर पर ही थी। लाश जब मिट्टी से निकाली गई तो मोनू वहाँ थे, पोस्टमार्टम में मोनू साथ गये थे या नहीं मैं नहीं जानती हूँ। मेरी बिटिया घर पर रहती थी, उसका दिमाग कम था, इसीलिए पढ़ने नहीं जाती थी। गवाह को धारा–161 दं०प्र०सं० का बयान पढ़कर अक्षरशः पढ़कर " घटना के बाद ... दिनांक 09.04.2016 को हम पति पत्नी... जब मुझे होश आया तो गांव की बहुत सी औरते... तुम किसी भी कुछ मत बताना मुझसे उन्होंने कहा कि... मैं गांव के लोगों से बोलती रही जब दिनांक 11.04.2016 को मेरा लड़का... जिस पर दिनांक 12.04.2016 को गांव के बाहर घोवहा तालाब के पास... दिनांक 09.4.2016 को जब मैं खेत पर थी, उसी समय रामरंग आकर उसका गला दबा दिये, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गयी थी। **साहेब मेरी लड़की का असली कातिल मेरे पति रामरंग ही है"** सुनाया गया, गवाह ने कहा कि ऐसा कोई बयान मैंने दरोगा जी को नहीं दिया था, दरोगा जी ने कैसे लिख लिया मैं इसकी कोई वजह नहीं बता सकती। मैं घटना के और पहले से ही रामरंग के साथ नहीं रहती हूँ। मेरे सगे देवर ओंकार थे उनकी मृत्यु हो गयी है, ओंकार की पत्नी किरन है, किरन के नाम सारी जमीन मेरे ससुर ने कर दी है, किरन गांव में ही रहती है। किरन का घर उस गांव में है, जिसमें किरन

रहती है। मेरे पति के नाम कोई जमीन नहीं है न तो पहले थी और आज भी नहीं है। मेरी लड़की फांसी जहां लगायी थी वह स्थल मैंने देखा था।

26– इस प्रकार उपरोक्त साक्षीगण पी०डब्लू०–1 व पी०डब्लू०–3 घटना के मुख्य साक्षीगण है। उक्त साक्षीगण ने विरोधाभाषी बयान दिया है, किन्तु साक्षी पी०डब्लू०–1 मृतका का सगा भाई है, इस साक्षी ने अपने बयान में यह स्पष्ट कथन किया है कि उसके द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखायी गयी थी और उसकी बहन को अभियुक्त रामरंग द्वारा ही मारा गया है। अभियोजन साक्षी यह कहते है कि मृतका ने फांसी लगायी है, जबकि खण्डन में अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत प्रतिरक्षा साक्षी संख्या–1 व प्रतिरक्षा साक्षी संख्या–2 ने भी मृतका को फांसी लगाकर मर जाना कहा है और इस तथ्य का समर्थन किया है कि रामरंग की लड़की की लाश तालाब के किनारे से निकलवायी गयी थी और वह गर्भवती थी, मृतका शादी शुदा नहीं थी। प्रतिरक्षा साक्षी संख्या–2 ने इस तथ्य से इन्कार किया है कि अभियुक्त ने अपनी पुत्री को अवैध संबंधों के कारण गर्भवती हो जाने पर अपनी इज्जत बचाने के लिए हत्या करके तालाब में गाड़ दिया था, किन्तु पत्रावली पर उपलब्ध शव विच्छेदन आख्या और शव पंचायतनामा के अवलोकन से यह विदित होता है कि मृतका के शरीर पर पंचायतनामा और शव विच्छेदन आख्या में मृत्यु पूर्व निम्न चोटें पायी गयी है, जिनका विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से है–

<u>पंचायतनामा</u>

27– मृतका का पंचायतनामा पत्रावली पर प्रदर्श–क–2 मूल रूप में संलग्न है, जिसमें मृतका के शव की दशा व चोटें निम्न प्रकार की दर्शित की गयी है– मृतका कुमारी सुमन रामरंग शुक्ला उम्र 16 वर्ष निवासी गौसिहा, थाना–कौड़िया, जिला–गोण्डा

<u>शव की दशाः–</u>

मृतका का शव चूंकि मिट्टी में दबा हुआ था, जिसको खुदवाकर निकलवाया गया तथा मृतका की मृत्यु लगभग चार दिन पूर्व होने के कारण चेहरे में स्वैलिंग तथा हाथ पैर की चमड़ी में सिकुड़न आ गयी है तथा शव पैर जानिब उत्तर, सर दक्षिण, पैर दोनों घुटने से मुड़े हुए है हाथ की दोनों कोहनी मुड़ी हुई, पेट पर, आँख बन्द मुह अधखुला हुआ है।

<u>चोट शवः–</u>

नाक व मुंह से खून आना दिखाई दे रहा है, पूरे चेहरे व गर्दन पर स्वैलिंग है।

<u>पहनावाः–</u>

काला सलवार फुल, छाप नीला, पीला काला, फूल पत्ती बना हुआ, हाफ आस्तीन की समीज,गले में ओम की लाकेट लगा काला धागा, कान में सफेद छोटा टप चमकदार, नीले रंग की पैन्टी, सफेद ब्रा पहनी हुई है।

<u>हुलिया शवः–</u>

रंग गेहूंआ एकहरी मजबूत जिस्म आँख, कान, नाक, कद औसत उम्र करीब 16 वर्ष,

शव–विच्छेदन आख्या

मृतका की शव विच्छेदन आख्या पत्रावली पर प्रदर्श–क–12 मूल रूप में उपलब्ध है, जिसमें मृतका के शरीर पर मृत्यु से पूर्व निम्न चोटें दर्शित की गयी है–

एन्टीमार्टम इंजरी–

*1– नीलगू निशान 4 सेमी **X** 3 सेमी बाह्य (**External**) निशान (**Notch**) के ऊपर।*

*2– नीलगू निशान 4 सेमी **X** 3 सेमी गर्दन के दाहिनी तरफ कान से 5 सेमी नीचे।*

*3– नीलगू निशान 4 सेमी **X** 3 सेमी गर्दन के बांये तरफ बांये कान से 3 सेमी नीचे।*

4– नीलगू निशान दोनों कोहनी पर।

*मृत्यु का कारण–मृत्यु का कारण मृत्यु पूर्व गला दबाना (**Throttling**) द्वारा दम घुटना (**Asphyxia**) है। सभी चोटें मृत्यु पूर्व की है, स्वयं कारित नहीं है एवं चोटें विकसित होने पर मृत्यु कारित करने हेतु पर्याप्त है।*

फर्द बरामदगी आलाकत्ल दुपट्टा

पत्रावली पर प्रदर्श–क–5 फर्द बरामदगी दुपट्टा, जिससे विवेचक द्वारा मृतका की अभियुक्त द्वारा मृत्यु पूर्व गला घोटकर हत्या कारित किया जाना दर्शित किया गया है, मूल रूप में उपलब्ध है, जिसमें अभियुक्त रामरंग की निशानदेही पर दुपट्टा बरामद किया जाना उल्लिखित किया गया है, जो कि निम्न प्रकार है–

"दिनांक–15.04.2016 को रूबरू गवाहान सर्व श्री लल्ला पासवान पुत्र जगन्नाथ वर्मा, लखन लाल पासवान व श्री राजन शुक्ला पुत्र चन्द्रभान शुक्ला निवासी ग्राम गौसिया, थाना–कौड़िया, जिला–गोण्डा के उपस्थिति में मुकदमा उपरोक्त का आरोपी रामरंग शुक्ला पुत्र जवाहर लाल निवासी गौसिया, थाना–कौड़िया, जिला–गोण्डा ने आगे–आगे चलकर मुकदमा उपरोक्त में गांव के लोगों से बताए गये कि इसी दुपट्टा से उसने आत्महत्या किया है। बाहरी कमरे से बरामद कराया, जिसे कब्जा पुलिस में लिया गया।"
इन्तखाब अहमद प्रभारी निरीक्षक दिनांक–15.04.2016

28– पत्रावली पर मृतका का पंचायतनामा, फोटोनाश, नमूना मोहर, फर्द बरामदगी दुपट्टा व आला कत्ल बरामदगी तथा शव विच्छेदन आख्या मूल रूप में उपलब्ध है, जिनको अभियोजन साक्षीगण द्वारा न्यायालय में साबित किया गया है। खण्डन में अभियुक्त द्वारा जो साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है उससे अभियुक्त को कोई भी संदेह का लाभ प्राप्त नहीं होता। यद्यपि इस मामलें में अभियोजन के तथ्य के साक्षीगण पक्षद्रोही घोषित किये गये है, किन्तु पत्रावली पर अभियोजन की ओर से प्रस्तुत मृतका की चिकित्सा आख्याएं व शव विच्छेदन आख्या अपने आप में ठोस एवं सशक्त साक्ष्य है, जिसको किसी भी तरह से इन्कार नहीं किया जा सकता। गवाहों के पक्षद्रोही होने से वाद के तथ्यों पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है न ही अभियुक्त को गवाहों के पक्षद्रोही होने के आधार पर दोषमुक्त किया जा सकता है।

29– इस प्रकार इस मामलें में मृतका की मृत्यु गला दबाये जाने के कारण दम घुटने से हुई है। यद्यपि अभियोजन साक्षी मृतका को आत्महत्या कर लेना कहते है, किन्तु प्रस्तुत प्रकरण में वाद की तथ्य एवं परिस्थितियां इस निर्णायक एवं प्रकृति की है कि अभियुक्त के अतिरिक्त अन्य और कोई व्यक्ति अपराध कारित संलिप्त नहीं है। अभियुक्त मृतका का पिता है और उसने अपनी पुत्री को सामाजिक लोक लाज के कारण गला दबाकर हत्या करके गड्ढे में दबाया है, जो कि अभियुक्त की निशानदेही पर ही मृतका का शव बरामद किया गया है और आला कत्ल दुपट्टा भी अभियुक्त की निशानदेही पर ही बरामद किया गया है। खण्डन में अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत साक्षीगण के बयान से यह तथ्य प्रकट होता है कि सुमन शादी शुदा नहीं थी और रामरंग ने ही सुमन की हत्या करके उसके शव को तालाब के किनारे गाड़ दिया है।

30– यह मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। किसी भी मामलें में परिस्थितिजन्य साक्ष्य ऐसा अप्रत्यक्ष होता है, जो मामलें के तथ्यों एवं परिस्थितियों व प्रकृति पर निर्भर होता है वहां पर किसी मौखिक साक्ष्य की आवश्यकता नहीं होती है।

सरवन नरायन तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2025(6) ADJ 683 (DB) मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद– के वाद में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अभियोजन साक्ष्य की विश्वसनीयता के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा किया गया अभियुक्त की दोषसिद्धी का निर्णय न्यायोचित माना और धारा–106 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रस्तुत तथ्यों को साबित मानते हुए परिस्थितिजन्य साक्ष्य की श्रंखला पूर्ण पायी गई। विचारण न्यायालय द्वारा की गई अभियुक्त की दोषसिद्धी के विरूद्ध अभियुक्त द्वारा की गई अपील माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दी गई और निम्नलिखित वादों को उद्धरत करते हुए यह अवधारित किया गया है कि–*Before proceeding further, it would be appropriate to take note of judgment of Krishna Mochi and others v. State of Bihar, (2002) 6 SCC 81, wherein Hon'ble Apex Court in paragraph 32 has held as under:*

> *32. Thus, in a criminal trial a Prosecutor is faced with so many odds. The Court while appreciating the evidence should not lose sight of these realities of life and can-not afford to take an unrealistic approach by sitting in an ivory tower. I find that in recent times the tendency to acquit an accused easily is galloping fast. It is very easy to pass an order of acquittal on the basis of minor points raised in the case by a short judgment so as to achieve the yard stick of disposal. Some discrepancy is bound to be there in each and every case which should not weigh with the Court so long it does not materially affect the prosecution case. In case discrepancies pointed out are in the realm of pebbles, the Court should tread upon it, but if the same are boulders, the Court should not make an attempt to jump over the same. These days when crime is looming large and humanity is suffering and the society is so much affected thereby, duties and responsi-bilities of the Courts have become much more. Now the maxim* ***"let hundred guilty persons be acquitted, but not a single inno-cent be convicted" is, in practice, changing the world over and Courts have been com-pelled to accept that "society suffers by wrong convictions and it equally suffers by wrong acquittals"****, I find that this Court in recent times has conscientiously taken notice of these facts from*

time to time. In the case Inder Singh v. State (Delhi Admn.) [(1978) 4 SCC 161: 1978 SCC (Cri) 564: AIR 1978 SC 1091] Krishna Iyer, J. laid down that: (SCC p. 162, para 2) "Proof beyond reason-able doubt is a guideline, not a fetish and guilty man cannot get away with it because truth suffers some infirmity when projected through human processes." ***In the case of State of U.P. v. Anil Singh [1988 Supp SCC 686 1989 SCC (Cri) 48 AIR 1988 SC 1998] it was held that a Judge does not pre-side over a criminal trial merely to see that no innocent man is punished. A Judge also presides to see that a guilty man does not escape.*** *One is as important as the other Both are public duties which the Judge has to per-form In the case of State of WB v. Orilal Jaiswal [(1994) 1 SCC 73 1994 SCC (Cri) 107] it was held that justice cannot be made sterile on the plea that it is better to let a hundred guilty escape than punish an innocent Letting the guilty escape is not doing jus tice, according to law. In the case of Mohan Singh v. State of M.P. [(1999) 2 SCC 428: 1999 SCC (Cri) 261: (1999) 1 SCR 276] it was held that the Courts have been removing* ***chaff from the grain****. It has to disperse the suspicious cloud and dust out the smear of dust as all these things clog the very truth. So long chaff, cloud and dust remain, the criminals are clothed with this protective layer to receive the benefit of doubt. So it is a solemn duty of the Courts, not to merely conclude and leave the case the moment suspicions are created. It is the onerous duty of the Court, within permissible limit to find out the truth. It means, on one hand no innocent man should be punished but on the other hand to see no person committing an offence should get scotfree. If in spite of such effort suspicion is not dissolved, it remains writ at large, benefit of doubt has to be credited to the accused."*

18. It would also be appropriate to quote paragraphs 153, 154, 159, 163, 164 and 165 of landmark judgement of Hon'ble Apex Court rendered in ***Sharad Birdichand Sarada, (1984) 4 SCC 116****. This judgment has been relied on in Jose.*

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पक्षद्रोही साक्षी की विश्वसनीयता का निर्धारण करते हुए निम्न विधि व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में यह अवधारित किया गया है कि–

It is settled legal proposition that the evidence of a prosecution witness cannot be rejected in toto merely because the prosecution chose to treat him as hostile and cross-examined him*. The evidence of such witnesses cannot be treated as effaced or washed off the record altogether but the same can be accepted to the extent their version is found to be dependable on a careful scrutiny thereof.'*

In the case of State of U.P. v. Ramesh Prasad Misra, [(1996) 10 SCC 360] -

Hon'ble Court held that the evidence of a ***hostile witness would not be totally rejected if spoken in favour of the prosecution or the accused but required to be subjected to close scrutiny and that portion of the evidence which is consistent with the case of the prosecution or***

defence can be relied upon. *A similar view has been reiterated by this Court in Balu Sonba Shinde v. State of Maharashtra, (2002) 7 SCC 543], Gagan Kanojia v. State of Punjab, (2006) 13 SCC 516], Radha Mohan Singh v. State of U.P.,(2006) 2 SCC 450], Sarvesh Narain Shukla v. Daroga Singh, (2007) 13 SCC 360] and Subbu Singh v. State, (2009) 6 SCC 462.*

Thus, the law can be summarised to the effect that the ***evidence of a hostile witness cannot be discarded as a whole, and relevant parts thereof which are admissible in law, can be used by the prosecution or the defence.***

उपरोक्त मामलों के परिप्रेक्ष्य में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा साक्ष्य का मूल्यांकन करते हुए यह भी अवधारित किया गया है कि–

It is well-settled principle of law that only because the witnesses are not independent ones may not be itself be a ground to discard the prosecution case. If the prosecution case has been supported by the witnesses and no cogent reason has been shown to discredit their statements, a judgment of conviction can certainly be cased there upon.

There is no hard and fast rule that family members can never be true witnesses to the occurrence and that they will always depose falsely before the Court. It will always depend upon the facts and circumstances of a given case. In the case of Jayabalan v. U.T. of Pondicherry [(2011) 1 SCC 199], this Court had occasion to consider whether the evidence of interested witnesses can be relied upon. The Court took the view that a pedantic approach cannot be applied while dealing with the evidence of an interested witness. Such evidence cannot be ignored or thrown out solely because it comes from a person closely related to the victim.

प्रस्तुत मामला परिस्थितजन्य साक्ष्य पर आधारित है, जिसके संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अवधारित सिद्धांत प्रसिद्ध निर्णित विधि व्यवस्था माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शरद बिरधीचन्द शारदा बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र (1984) 4 SCC 116 के प्रसिद्ध वाद में परिस्थितिजन्य साक्ष्य (Circumstantial evidence)** सिद्ध करने के लिए पांच **स्वर्णिम सिद्धांत (Golden rule) (पंचशील)** निर्धारित किये गये हैं। अतः किसी व्यक्ति के विरुद्ध अभियुक्त के विरुद्ध दोषसिद्धी के लिए यह आवश्यक है कि–

01– *जिन परिस्थितियों में अभियुक्त के विरुद्ध कारित अपराध का निष्कर्ष निकाला जाता है उन्हें पूरी तरह स्थापित किया जाना चाहिए।*

02– *अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन कथानक को स्थापित किये जाने वाले तथ्य केवल अभियुक्त के विरुद्ध अपराध की परिकल्पना अनुरुप होने चाहिए अर्थात अभियुक्त के विरुद्ध अपराध की किसी अन्य परिकल्पना (Hypothesis) पर स्पष्ट नहीं किया जाना चाहिए और अभियुक्त को केवल परिकल्पना के आधार पर दोषी नहीं माना चाहिए।*

03– *वाद की परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति एवं प्रवृत्ति की होनी चाहिए।*

04– अभियुक्त के विरुद्ध किसी मामले को सिद्ध करने की परिकल्पना (Hypothesis) को छोड़कर हर संभव परिकल्ना को बाहर करना चाहिए।

05– साक्ष्य की श्रृंखला ***(Chain of Evidence)*** *इतनी सशक्त और पूर्ण होनी चाहिए कि अभियुक्त के निर्दोष होने के अनुसार निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार न रहा हो और यह प्रकट होता हो कि सभी मानवीय संभावनाओं में वह कार्य जिसके लिए अभियुक्त आरोपी है, अभियुक्त द्वारा ही किया गया है।*

अर्थात् यदि उपरोक्त पांच नियमों के अन्तर्गत मामला नहीं आता या सिद्ध नहीं हो पाता तो अभियुक्त को दोषसिद्ध नहीं किया जाना चाहिए, किन्तु यदि मामलें के तथ्य एवं प्रकृति यह स्थापित करते है कि वाद की परिस्थितियां निर्णायक प्रवृत्ति की है और किसी भी परिकल्पना से बाहर है तो अभियुक्त की दोषसिद्धी न्यायोचित होगी।

31– अवधेश कुमार अवस्थी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2016 Cr. Appeal No–164 of 2010 माननीय उच्च न्यायालय खण्ड पीठ लखनऊ के वाद में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर अभियोजन साक्ष्य का मूल्यांकन करते हुए यह अवधारित किया है कि *"वाद के तथ्य परिस्थितिजन्य साक्ष्य की सम्पूर्ण साक्ष्य श्रृंखला वहां तक साबित होती है, जहां तक कि चिकित्सा आख्या गम्भीर अपराध प्रकट करती है। गवाहों की विश्वसनीयता अभियोजन कथानक का मुख्य आधार होती है केवल गवाहों के घटना न देखे जाने के आधार पर अभियुक्त की दोषसिद्धी से इन्कार नहीं किया जा सकता"* माननीय उच्च न्यायालय द्वारा परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय सही पाते हुए अभियुक्त की दोषसिद्धी को सही पाया गया और अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त की गयी।

32– नरेन्द्र बनाम हरियाणा राज्य 2026 CrLJ.–752 AIR Online 2025 P & H 1297 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मूल्यांकन करते हुए धारा–3 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की परिप्रेक्ष्य में अभियोजन साक्ष्य को विश्वसनीय पाते हुए विचारण न्यायालय का किया गया दोषसिद्धी का निर्णय सही पाया गया और यह अवधारित किया गया कि *"जहां मामला सम्पूर्ण परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है और अभियोजन द्वारा साक्ष्य की श्रृंखला को साबित किया है तथा रक्त के धब्बे सामान व स्थान पर पाये गये है वहां चिकित्सीय साक्ष्य को सम्पुष्टकारक साक्ष्य मानते हुए अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जाना वाला साक्ष्य पर्याप्त है।"* माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त द्वारा निर्णय के विरूद्ध की गयी अपील को निरस्त करते हुए दोषसिद्धी को सही पाया गया है।

33– धारा–6 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में यह उपबन्धित है कि–

एक ही संव्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति–

"जो तथ्य विवाद्य न होते हुए भी किसी विवाद्यक तथ्य से उस प्रकार संसक्त हैं कि वे एक ही संव्यवहार के भाग हैं, व तथ्य सुसंगत हैं, चाहे वे उसी समय और स्थान पर या विभिन्न समयों और स्थानों पर घटित हुए हों।"

धारा–7 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में यह उपबन्धित है कि–

वे तथ्य जो विवाद्यक तथ्यों के प्रसंग, हेतुक या परिणाम हैं–

"वे तथ्य सुसंगत है, जो सुसंगत तथ्यों के, या विवाद्यक तथ्यों के अव्यवहित या अन्यथा प्रसंग, हेतुक या परिणाम है, या जो उस वस्तुस्थिति को गठित करते है, जिसके अन्तर्गत वे घटित हुए या जिसने उसके घटने या संव्यवहार का अवसर दिया।"

34– धारा–106 भारतीय साक्ष्य अधिनियम–

विशेषतः ज्ञात तथ्य को साबित करने का भार (Burden of proving fact especially within knowledge)– *जबकि कोई तथ्य विशेषतः किसी व्यक्ति के ज्ञान में है, तब उस तथ्य को साबित करने का भार उस पर है।*

प्रस्तुत प्रकरण में मुख्य प्रश्न यह है कि क्या अभियुक्त द्वारा ही मृतक की हत्या की गई और हत्या के समय क्या अभियुक्त घटना स्थल पर उपस्थित था?

यह सत्य है कि अभियुक्त मृतका का सगा पिता है और वह घटना स्थल पर मौजूद रहता है। यह तथ्य अभियोजन के समक्ष साक्षीगण के बयान से प्रकट होता है अभियुक्त की घटना के समय अन्यत्र उपस्थिति साबित नहीं होती है।

35– प्रस्तुत प्रकरण में घटना दिनांक–09.04.2016 की है और मृतका का पंचायतनामा दिनांक–12.04.2016 को कराया गया है और शव विच्छेदन आख्या दिनांक–13.04.2016 को किया गया है। मृतका की मृत्यु दिनांक–09.04.2016 की रात्रि में हुई है और मृतका का पिता/अभियुक्त घटनास्थल पर उपस्थित रहा है, उसके द्वारा अपनी पुत्री को घटना की तिथि को ही तालाब के किनारे गड्ढे में दफनाया जाना कहा गया है। चूंकि मृतका के शव को घटना के तीन दिन बाद दिनांक–12.04.2016 को गड्ढे से निकलवाकर पंचायतनामा कराया गया है और अगले दिन शव विच्छेदन कराया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि घटना की रात्रि में अभियुक्त द्वारा मृतका की हत्या करके शव को तालाब के किनारे गड्ढे में दफनाया गया और वादी की तहरीर थाने पर दी गयी और दिनांक–11.04.2016 को थाना प्रभारी द्वारा जाँच के आदेश किये गये और दिनांक–12.04.2016 को मृतका के शव की बरामदगी की गयी। घटना की साक्ष्य की कड़ी एक–दूसरे तथ्य से जुड़ी हुई है, जिससे स्पष्ट होता है कि अभियुक्त के अतिरिक्त अन्य और कोई व्यक्ति घटना कारित करने में सम्मिलित नहीं है। घटना के तथ्य एक दूसरे से सम्पुष्ट कारक साक्ष्य से जुड़े हुए है। खण्डन में अभियुक्त की ओर से यह कहना कि मृतका की मृत्यु आत्महत्या के कारण हुई है और अभियुक्त मौके पर नहीं था, यह तथ्य नितान्त भ्रामक और मिथ्या प्रतीत होता है, क्योंकि आत्महत्या किये जाने का कोई भी साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है और मृतका के मुंह पर चोटें पायी गयी है, मृतका की मृत्यु गला दबाया जाकर किया जाना पाया गया है, जैसा कि शव विच्छेदन आख्या से स्पष्ट होता है। पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण साक्ष्य का सम्यक अवलोकन करने से मामला हत्या कारित करने का साबित होता है। अतः बचाव पक्ष के इस तर्क में कोई बल प्रतीत नहीं होता है कि मृतका की मृत्यु आत्महत्या के कारण हुई है।

36– अभियुक्त की ओर से प्रतिरक्षा साक्ष्य में प्रतिरक्षा साक्षी संख्या–1 गोकुला प्रसाद व प्रतिरक्षा साक्षी संख्या–2 जगदीश प्रस्तुत किय गये है, जिन्हें न्यायालय में परीक्षित कराया गया है। उक्त दोनों साक्षीगण ने अपने बयान में कथन किया है कि अभियुक्त रामरंग की पुत्री ने आत्महत्या की है, रामरंग ने हत्या नहीं की

है। सुमन की हत्या के मामलें रामरंग को पुलिस पकड़कर ले गयी थी। रामरंग की पुत्री की मृत्यु फांसी लगाकर हुई थी। साक्षी जगदीश मौके पर था, भीड़ काफी थी, किसने लड़की को फांसी से उतारा था मैंने नहीं देखा था, दरवाजा अन्दर से बन्द था, शोर मचाने पर बहुत से लोग आ गये थे। लड़की फांसी पर लटक रही थी हमने देखा था, लड़की को फांसी से उतारकर गांव के पास तालाब के किनारे दफनाया गया था, रामरंग के साथ मौके पर कई लोग थे। रामरंग के पिता जवाहर ने अपनी छोटू बहू को जमीन का बैनामा कर दिया था, रामरंग के बेटे दबाव बनाते थे कि बाबा से मेरी माँ के नाम भी जमीन लिखवाओं इसी बात को लेकर रामरंग के लड़के मनमुटाव रखते थे, फांसी लगाते हुए मैंने नहीं देखा था न ही मारते हुए देखा।

37– प्रतिरक्षा साक्षी संख्या–2 ने प्रतिप्ररीक्षा में यह कथन किया है कि यह कहना गलत है कि रामरंग ने अपनी बेटी की हत्या करके मारा है। **रामरंग की लड़की सुमन की लाश जब तालाब के किनारे से निकलवायी गयी थी तब पता चला था कि वह गर्भवती थी, सुमन शादी शुदा नहीं थी।** यह कहना गलत है कि अवैध संबंधों के कारण सुमन गर्भवती हो गयी और इसी कारण रामरंग ने अपनी इज्जत बचाने के लिए सुमन की हत्या करके तालाब में गाड़ दिया। अतः प्रतिरक्षा साक्षीगण के उपरोक्त बयानों से भी अभियोजन कथानक को बल मिलता है।

38– पत्रावली पर उपलब्ध मृतका के शव का पंचायतनामा व शव विच्छेदन आख्या से यह स्पष्ट होता है कि मृतका को शरीर पर चार चोटें आयी हुई है तथा पंचायतनामा के समय भी मृतका के मुंह से खून आ रहा था और पूरे चेहरे व गर्दन पर सूजन थी, जो आत्महत्या के लक्षण नहीं होते हैं। मृतका के स्वयं फांसी लगाये जाने का कोई भी साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। शव विच्छेदन आख्या में मृतका के मृत्यु का कारण मृत्यु से पूर्व गला दबाया जाना दर्शाया गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि मृतका के आत्म हत्या के कारण मृत्यु नहीं हुई है, बल्कि मृत्यु से पूर्व चोटें पहुंचाकर गला दबाकर हत्या कारित की गयी है। इस मामलें के तथ्य एवं परिस्थितियां इस प्रकृति की है कि अभियुक्त के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति हत्या करने में संलिप्त नहीं है, तद्नुसार अभियुक्त की ओर से बचाव साक्ष्य का कोई भी संदेह का लाभ अभियुक्त को प्राप्त नहीं होता है। अभियोजन कथानक अभियुक्त के विरूद्ध संदेह से परे साबित होता है, जहाँ तक गवाहों के पक्षद्रोही होने का प्रश्न है तो यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि जहां चिकित्सा आख्या से मामला साबित होता है वहां मौखिक साक्ष्य के आधार पर कोई भी निष्कर्ष अभियुक्त की दोषमुक्ति का नहीं निकलता है। पत्रावली पर अभियुक्त के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य है।

39– प्रस्तुत प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या मृतका वास्तव में बीमार थी और उसके द्वारा आत्महत्या किया गया है? अभियोजन साक्षी यह कहते है कि मृतका बीमार थी और उसके द्वारा आत्महत्या की गयी है, जबकि इस तरह का कोई भी चिकित्सा आख्या बीमार होने की पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है केवल गवाहों के यह कहने मात्र से कि मृतका द्वारा बीमार होने के कारण अवसाद ग्रस्त होने से आत्महत्या की गयी है, अभियोजन कथानक मिथ्या साबित नहीं माना जा सकता, क्योंकि अभियोजन की ओर से पत्रावली पर चिकित्सीय साक्ष्य इतनी सशक्त और सम्पुष्ट कारक है कि साक्ष्य की कोई भी कड़ी तथ्य से विरत नहीं होती है, बल्कि साक्ष्य की कड़ी जोड़ती है और परिस्थितिजन्य साक्ष्य को साबित करती है। अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत प्रतिरक्षा साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को दोषमुक्ति हेतु कोई भी संदेह का लाभ प्राप्त नहीं होता है। पत्रावली पर अभियुक्त के विरूद्ध सम्पुष्ट कारक साक्ष्य उपलब्ध है, जिसको अभियोजन के सभी औपचारिक गवाहान ने साबित किया है।

40– इस प्रकार उभयपक्ष के तर्कों को सुनने व पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण साक्ष्य का विश्लेषण करने के उपरान्त न्यायालय का मत है कि अभियोजन अपने कथानक को अभियुक्त के विरूद्ध संदेह से परे साबित करने में पूर्णतया सफल रहा है। अभियुक्त आरोपित आरोप अन्तर्गत धारा–302, 201 भा०दं०सं० में दोषसिद्ध किये जाने योग्य है, तद्नुसार अभियुक्त आरोपित आरोप अन्तर्गत धारा–302, 201 भा०दं०सं० में दोषसिद्ध किया जाता है।

41– आज अभियुक्त जिला कारागार से न्यायालय के समक्ष उपस्थित है। अभियुक्त द्वारा अभियुक्त को दण्ड के बिन्दु पर आज ही सुने जाने की याचना की गई है। अतः दण्ड के बिन्दु पर वाद में विलंब न करते हुए आज ही सुन लिया जाये। विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा भी उक्त कथन का समर्थन करते हुए दण्ड के बिन्दु पर आज ही सुनवाई किये जाने की याचना की गई। अतः उभयपक्ष की याचना पर अभियुक्त को दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु पत्रावली लंच उपरान्त पेश हो।

दिनांक–16.03.2026

(राजेश कुमार–III)
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–03,गोण्डा।
JO Code UP-5962

42– पत्रावली लंच बाद पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित। अभियुक्त एवं राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता के तर्कों को अभियुक्त के दण्ड के बिन्दु पर सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

43– अभियुक्त द्वारा कथन किया गया है कि वह 60 वर्षीय गरीब और मजदूर व्यक्ति हैं और उसकी पत्नी भी वृद्ध है, उसके परिवार में दो बच्चे है, जो बाहर रहते है, उसके परिवार में कोई कमाने वाली नहीं है वह खेती बाड़ी करके जीवनयापन करता है। अभियुक्त के परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उसके परिवार में जीवकोपार्जन का कोई पर्याप्त साधन नहीं है। अभियुक्त को दुर्भाग्यवश इस मुकदमें में रंजिशन फंसा दिया गया हैं। अभियुक्त भविष्य में सद्आचरण बनाये रखेंगे। अतः अभियुक्त की पारिवारिक स्थिति पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए कम–से–कम सजा से दण्डित किया जाये अथवा अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि पर रिहा कर दिया जाये।

राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा यह कथन किया गया कि अभियुक्त आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। अभियुक्त ने अपनी सगी पुत्री को गम्भीर चोटें पहुंचाकर हत्या करके लाश को गड्ढे में दबा दिया था, मृतका का शव अभियुक्त की निशानदेही पर ही बरामद किया गया है। अभियुक्त का अपराध समाज में गम्भीर प्रकृति का है। अभियुक्त को क्षमा किया जाना न्यायोचित नहीं है। अभियुक्त को अधिक से अधिक कठोर दण्ड दिया जाये।

44– सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध उभयपक्ष के साक्ष्य विश्लेषण के आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध किया गया है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध समाज के प्रति गंभीर है। अभियुक्त पर अपनी सगी पुत्री की हत्या कर गड्ढे

में दबाये जाने का गम्भीर आरोप है, जो कि समाज में घृणित प्रकृति का अपराध है। अभियुक्त द्वारा अपने परिवार की स्थिति दयनीय होना कहा है, जबकि विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा अपराध को समाज के प्रति अति गम्भीर होना कहा गया है। चूंकि मामला गम्भीर प्रकृति का है और पिता द्वारा पुत्री की हत्या किया जाना और मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध अभियोजन कथानक साबित पाया गया है। अतः अभियुक्त को दण्डित किये जाने से न्याय के उद्देश्य की पूर्ति हो सकेगी। अभियुक्त की पारिवारिक स्थिति एवं दशा तथा अभियोजन के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभियुक्त को दण्डित किये जाना न्यायोचित होगा।

45– उभयपक्ष के तर्क सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में मामलें के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को आरोपित आरोप अन्तर्गत धारा–302 व 201 भारतीय दण्ड संहिता में दोषी पाते हुए, निम्न प्रकार से दण्डित किया जाना न्यायोचित होगा–

आदेश

46– दोषसिद्ध अभियुक्त **रामरंग शुक्ला** को अन्तर्गत **धारा–302 भारतीय दण्ड संहिता** में **सश्रम आजीवन कारावास** तथा मु०–1,00,000/–रूपये (एक लाख रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर छः माह का अतिरिक्त कारावास अभियुक्त को भुगतना होगा।

47– दोषसिद्ध अभियुक्त उपरोक्त को अन्तर्गत **धारा–201 भारतीय दण्ड संहिता** में 05 वर्ष (पांच वर्ष) का कारावास तथा मु०–20,000/–रूपये (बीस हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है, अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

अभियुक्त की सभी सजाएं साथ–साथ चलेंगी।

अभियुक्त का सजायाबी वारंट बनाया जाकर जिला कारागार अधीक्षक को आदेश के अनुपालनार्थ प्रेषित किया जाये।

माल मुकदमा बाद मियाद अपील अवधि नियमानुसार विनिष्ट किया जाए।

अभियुक्त को आदेश/निर्णय की प्रति निःशुल्क प्रदान की जाए।

दिनांक–16.03.2026

(राजेश कुमार–III)
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–03,गोण्डा।
JO Code UP-5962

यह निर्णय आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांक–16.03.2026

(राजेश कुमार–III)
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–03,गोण्डा।
JO Code UP-5962